



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219682
CG-DL-E-01062020-219682

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942

No. 257]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISHTHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

सा.का.नि. 336(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27(क्यू), 8(2), 8(6), 9(2), 11(2), 15(2), 15(4), 19(1ए), 25ए, 41(1), 41(3), 41(8), 41(10), 43, 44(1), 49(1ए), 50(1), 62बी, 63, 64(पी), 211ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 184 (अ), दिनांक 18 मार्च, 2020 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले मांगे गए थे, जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी गई थी। तथापि कोविड-19 के प्रकोप के कारण प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को साठ दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

सा.का.नि 184 (अ) दिनांक 18 मार्च 2020 के खिलाफ पहले प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा और उन्हें दोबारा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी आपत्ति या सुझाव जो किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) शीर्षक एवं प्रारंभ - इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) बशर्ते, अन्यथा इन नियमों में निहित के अनुसार, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 2 में,
 - (क) खंड (i) के लिए निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 "(I) श्रेणी एल1 का निहितार्थ है बिना गियर वाली मोटर साइकिल या अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ एक हल्का दो पहिया पावर्ड वाहन और यदि थर्मिक इंजन से युक्त है, तो इंजन की क्षमता 50 सीसी से अधिक न हो या यदि बिजली की मोटर से युक्त है, तो मोटर की शक्ति 4.0 किलोवाट से अधिक नहीं हो"
 - (ख) खंड (iए) का लोप जाएगा;
 - (ग) खंड (iबी) के लिए निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 "(iबी) श्रेणी एल2 का निहितार्थ है एक मोटर साइकिल या एक हल्का दो पहिया पावर्ड वाहन की इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक न हो, यदि थर्मिक इंजन से युक्त है या यदि बिजली की मोटर से युक्त है, तो मोटर की शक्ति 4.0 किलोवाट से अधिक नहीं हो"
 - (घ) खंड (सीसी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 "(सीडी) सुविधा केंद्र" का निहितार्थ है, आवश्यक संसाधनों और अधिकृत व्यक्ति वाली सुविधा तक पहुंच और किसी भी व्यक्ति द्वारा पोर्टलों के उपयोग के लिए या तो शुल्क के लिए या अन्यथा कोई भी, वास्तविक सुविधा, जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।
 - (ड.) खंड (ई) में "इन नियमों से संलग्न" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः
 "पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए एक समरूपी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र सहित"
 - (च) खंड (एक्स) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -
 "(एक्सए) "पोर्टल" का निहितार्थ है एक वेब और / या मोबाइल आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, जिसका धारा 211ए के तहत उल्लिखित सभी मामलों या किसी भी मामले को उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, स्थापित और रखरखाव किया जाता है: जैसे कि
 (i) लाइसेंस, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने और मोटर वाहनों के परमिट की सुविधा;
 (ii) अपराधों की रिकॉर्डिंग, जिसमें अपराध शमन, कुर्की, प्रमाणित करना, लाइसेंस रद्द करना और निरसन और पंजीकरण शामिल;

(iii) पठनीय, प्रिंट करने योग्य, साझा करने योग्य, सत्यापित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए मशीन को संरक्षित करना, कायम रखना और पहुंच प्रदान करना;

(iv) ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए और ऐसे प्रयोजनार्थ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है या इन नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि केंद्र सरकार अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग पोर्टल को अधिसूचित करे।

इसके अलावा बशर्ते कि किसी भी नियम या अधिसूचना में एक पोर्टल के किसी भी संदर्भ में संबंधित अधिसूचित पोर्टल के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (1) में: -

(क) शब्दों "के साथ होना" के लिए शब्द "शामिल" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) शब्दों "प्रपत्र 1 में" के लिए शब्दों "प्रपत्र 2 से संलग्न" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) शब्दों "प्रपत्र 1 ए में जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र" के बाद और शब्दों "पंजीकृत चिकित्सक द्वारा" से पहले, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से"

(घ) निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"बशर्ते कि आवेदक चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो इस मामले में परिवहन वाहन के अलावा किसी अन्य वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन धारा 8 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट प्रपत्र 1 ए में एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र से होगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 5 के उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

(5) उक्त नियमों में, नियम 5 में, -

(i) उप-नियम (3) में: -

(क) शब्दों "एक वर्ष" के लिए शब्दों "छह माह" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) शब्दों "इसके साथ आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो प्रति के साथ होगा" के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है।"

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(4) प्रपत्र 1 ए में धारा 8 की उप धारा (3) में उल्लिखित एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किए गए प्रत्येक चिकित्सा प्रमाणपत्र को केवल इस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।"

(6) उक्त नियमों में, नियम 8 का लोप किया जाएगा;

(7) उक्त नियमों में, नियम 8क. के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"8 क. ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण आवश्यक है। ई-रिक्शा या ई-कार्ट चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदक को कम से कम दस दिनों की अवधि का प्रशिक्षण लेना होगा और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।"

(8) उक्त नियमों में, नियम 9 में: -

(क) शीर्षक में, "शैक्षिक योग्यता" शब्दों के लिए "न्यूनतम प्रशिक्षण और भाषा समझ की आवश्यकता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (2) में, शब्द "न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या" का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (2) में, "जिनके अधिकार क्षेत्र में लाइसेंसिंग प्राधिकरण" शब्दों के लिए "राज्य में, जिसमें कोई भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(9) उक्त नियमों में, नियम 9 में: -

(क) "के साथ होना होगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"निम्नलिखित दस्तावेज और शुल्क को, या तो आवेदक द्वारा स्वयं एक्सेस कर अथवा सुविधा केंद्र की मदद से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पोर्टल पर जमा किया गया"

(ख) खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(क) परिवहन वाहन चलाने के लिए लरनर्स लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में प्रपत्र 1ए में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र;"

(ग) खंड (ख) में, शब्द "तीन प्रतियां" का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (ई) में, शब्दों "निवास का प्रमाण" के पश्चात् शब्द "और आयु" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ड.) खंड (एफ) और (जी) का लोप किया जाएगा।

(च) खंड (जी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(ज) एक रूपांतरित वाहन चलाने के लिए लरनर्स लाइसेंस हेतु आवेदन के मामले में, प्रपत्र 1ए में विकलांगता का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र।"

(10) उक्त नियमों में, नियम 11 के लिए, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"11. लरनर्स लाइसेंस के लिए संतुष्ट होने की शर्तें - (1) नियम 10 के तहत एक आवेदन जमा करने के सात दिनों के भीतर, लरनर्स लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक को या तो स्वयं आवेदक द्वारा एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सेस से या किसी सुविधा केंद्र की मदद से पोर्टल पर सुरक्षित चालन पर शिक्षण (ट्यूटोरियल) पूरा करना होगा।

(2) सुरक्षित ड्राइविंग के ट्यूटोरियल में निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी होगी: -

(क) यातायात संकेत, यातायात संकेतक और धारा 118 के तहत बनाए गए सड़क नियमों का विनियम;

(ख) एक चालक के कर्तव्य, जब उसका वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान होता है;

(ग) मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियां;

(घ) मोटर वाहन चलाते समय जो दस्तावेज उसे अपने साथ रखना चाहिए;

(3) सुरक्षित चालन पर ट्यूटोरियल लेने के पश्चात् नियम 10 के तहत आवेदन जमा करने के सात दिनों के भीतर प्रत्येक आवेदक को या तो स्वयं पोर्टल को एक्सेस कर या किसी सुविधा केंद्र की मदद से एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक परीक्षा देनी होगी, जिसमें उप-नियम (2) में निर्दिष्ट विषयों पर आवेदक के ज्ञान और समझ की परीक्षा के उद्देश्य से अनुबंध VI में निर्दिष्टानुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं।

(4) यदि आवेदक उसको दिए गए प्रश्नों में से कम से कम 60 प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो आवेदक को उप-नियम (3) के तहत निर्दिष्ट परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण माना जाएगा।

(5) उप-नियम (1) और (3) में निहित कुछ भी आवेदकों के निम्नलिखित वर्ग पर लागू नहीं होंगे, नामतः -

(क) एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारक,

(ख) समाप्त हो चुका ड्राइविंग लाइसेंस धारक,

(ग) इन नियमों के लागू होने से पहले जारी या पुर्नजारी किए गए लरनर्स लाइसेंस धारक।

(घ) नियम 24 में उल्लिखित विषयों का पर्याप्त ज्ञान और समझ रखने के बारे में किसी भी ड्राइविंग स्कूल या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र धारक।"

(11) उक्त नियमों में, नियम 13 में, शब्दों "लाइसेंस प्राधिकारण द्वारा जारी किए गए प्रत्येक लरनर्स लाइसेंस प्रपत्र 3 में होगा" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा,

"(1) धारा 8 (4) के अधीन नियम 11 के तहत निर्धारित शर्तों की सफल संतुष्टि होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्येक लरनर्स लाइसेंस मुद्रण योग्य प्रपत्र 3 में जारी किया जाएगा।

(2) धारा 8 (6) के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत यथा निर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान प्रमाणित करने या अन्य तरीके से सत्यापित किए गए हस्ताक्षर अथवा केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित हस्ताक्षर के बाद लाइसेंस प्राधिकारण द्वारा लरनर्स लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जा सकता है।"

(12) उक्त नियमों में, नियम 14 में, -

(i) उप-नियम (1) में: -

(क) खंड (सी) में, "की तीन प्रतियां" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (डी) में, शब्दों "1 [प्रपत्र1ए] में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र" के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस हेतु एक आवेदन के मामले में"

(ग) खंड (ई) में, शब्दों "प्रपत्र 5 में एक ड्राइविंग प्रमाण पत्र" से पहले निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हेतु एक आवेदन के मामले में,"

(घ) खंड (ई) में, शब्द "यदि कोई" का लोप किया जाएगा।

(ड.) खंड (एफ) में, शब्दों "निवास का प्रमाण" के बाद, "और आयु" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(च) खंड (जी) का लोप किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) में, -

(ए) शब्द "प्रपत्र 4 ए में बनाया जाएगा" के पश्चात् और शब्दों "और उसके साथ होगा" से पहले निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या तो आवेदक द्वारा स्वयं एक्सेस करके अथवा सुविधा केंद्र की मदद से या अन्यथा";

(ख) खंड (सी) में, शब्द "की तीन प्रतियां" का लोप किया जाएगा।

(13) उक्त नियमों में, नियम 15 में, -

(i) उप-नियम (1) में, शब्दों "कम से कम तीस दिनों की अवधि के लिए" के पश्चात् शब्द "ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक योग्यता की परीक्षा के मामले को छोड़कर" अंतःस्थापित जाएगा।

(ii) उप-नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(1 ए) कोई भी व्यक्ति रूपांतरित वाहन चलाने के लिए योग्यता परीक्षा के लिए तब तक नहीं उपस्थित होगा जब तक वह ड्राइविंग परीक्षा के लिए विधिवत पंजीकृत रूपांतरित वाहन नहीं लाता है।"

(14) उक्त नियमों में, नियम 16 में, उप-नियम (4) में, शब्दों "लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया होगा" के पश्चात् और शब्दों "प्रपत्र 6-ए में" से पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा अन्यथा जारी किया गया"

(15) उक्त नियमों में, नियम 17 में, -

(i) उप-नियम (1) में, खंड (डी) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(ई) नियम 6 में यथा निर्दिष्टानुसार अन्यथा बशर्ते परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के अतिरिक्त एक आवेदन के मामले में 1 [प्रपत्र 1 ए] में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र;"

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(3) धारा 11 (2) के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत यथा निर्दिष्ट ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान प्रमाणित करने या अन्य तरीके से सत्यापित किए गए हस्ताक्षर अथवा केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित हस्ताक्षर के बाद लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्तों के साथ लाइसेंस जारी किया जा सकता है।"

(16) उक्त नियमों में, नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"17ए. ड्राइविंग लाइसेंस से वाहनों के एक वर्ग या वर्गों का स्थायी रूप से हटाना - (1) कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक या एक से अधिक मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वह प्रभावी हो या समाप्त हो, आवेदक द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ प्रपत्र 8 में और नियम 32 में निर्दिष्ट अनुसार उचित शुल्क पर राज्य, जिसमें वह निवास करता या व्यापार करता है, के किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण में लाइसेंस में स्थायी रूप से एक वर्ग को हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, लाइसेंसिंग प्राधिकरण आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस से मोटर वाहन के उस वर्ग या वर्गों को हटा देगा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(3) मोटर वाहनों के एक वर्ग या वर्गों को हटाने के प्रयोजनार्थ जिनके लिए लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, इसके नवीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।"

(17) उक्त नियमों में, नियम 18 में,

(i) उप-नियम (1) में,

(क) शब्दों "क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले लाइसेंसिंग प्राधिकरण" के लिए शब्द "राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) खंड (डी) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(डी) परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु एक आवेदन के मामले में प्रपत्र 1 ए में चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर-परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस के नवीकरण के लिए एक आवेदन के मामले में, यदि आवेदक ने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।"

(ii) उप-नियम (3) में, पहले और दूसरे परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"बशर्ते कि ड्राइविंग लाइसेंस के पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल लाइसेंसिंग प्राधिकरण के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा, जिसने उप-नियम (3) के प्रयोजनार्थ ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया था।

(iii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(4) यदि ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद के इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवेदन से संबंधित प्रकार के वाहन को चलाने के लिए एक प्रभावी लरनर्स लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी"

(18) उक्त नियमों में, नियम १ said के बाद, निम्नलिखित नियम सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

"18 क. डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना - एक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए एक आवेदन के मामले में, जो खो गया है, फटा हुआ या कटे-फटे जैसे दस्तावेज़ की पहचान या प्रामाणिकता को यथोचित रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है, ऐसा आवेदन प्राप्त करने वाले लाइसेंस प्राधिकरण, ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में पोर्टल पर विवरण उपलब्ध है, डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें:

बशर्ते कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है और लाइसेंसिंग प्राधिकरण एक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन प्राप्त करता है, तो वह मूल लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पुष्टि कर पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा:

बशर्ते इसके अलावा मूल लाइसेंस प्राधिकरण से 60 दिनों के भीतर ऐसी पुष्टि प्राप्त नहीं होने पर, यदि ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो डुप्लिकेट लाइसेंस आवेदन प्राप्त करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना जारी किया जाएगा";

(19) उक्त नियमों में, नियम 21 में, खंड (9), (16) और (25) का लोप किया जाएगा।

(20) उक्त नियमों में, नियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"21 क. सार्वजनिक डोमेन में नाम रखना - (1) उप-नियमों (2) और (3) के अधीन, धारा 19 (1ए) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश से ड्राइविंग लाइसेंस के निरसन पर,

(i) यदि धारा 19 (3) के तहत किसी असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा आदेश के खिलाफ अपील की जाती है और अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी जाती है या

(ii) यदि लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की तिथि से एक माह के भीतर किसी असंतुष्ट व्यक्ति द्वारा अपील नहीं की जाती है, तो ऐसा लाइसेंसिंग प्राधिकरण पोर्टल पर इस तरह के लाइसेंस धारक के विवरणों को आम जनता द्वारा एक्सेस के लिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) में पठनीय इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट करने योग्य, साझा करने योग्य रूप में 'अधिनियम की धारा 19 (1ए) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निरसन' शीर्षक में एक अलग अनुभाग में प्रदर्शित कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस धारक के बारे में निम्नलिखित विवरण छह माह तक पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे:

i. नाम;

ii. ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जिसे निरस्त कर दिया गया है;"

(21) उक्त नियमों में, नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"23 क. ड्राइविंग लाइसेंस का राष्ट्रीय रजिस्टर - (1) केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित करेगी और उसका रख-रखाव करेगी, जो प्रत्येक राज्य में प्रपत्र 10 ए में जारी और नवीनीकृत किए गए लाइसेंस से संबंधित सभी विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का संग्रह होगा।

(2) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट करने योग्य, साझा करने योग्य रूप में इस तरह के पोर्टल पर डेटा को रखा, संग्रहीत और संरक्षित किया जाएगा।

- (3) मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से, जिन राज्यों ने केंद्र सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर में निहित डेटा सहित सभी सूचना संचारित नहीं की है, वे ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के समानुकरण के लिए केंद्रीय मोटर यान (... संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से छह माह के भीतर निहित डेटा सहित सभी सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से केंद्र सरकार को प्रपत्र 10ए में संचारित करेंगे;

23बी. लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक्सेस और अद्यतन - (1) लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल का उपयोग किया जाएगा या प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा पदेन ऐसे अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा:

- (i) ड्राइविंग लाइसेंस का राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच;
 - (ii) अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप वास्तविक समय में, लाइसेंस से संबंधित किसी विशेष विवरण का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतन;
 - (iii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी या नवीनीकृत किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में, वास्तविक समय में नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड।
- (2) ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल, हर समय किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पोर्टल में निहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए तैयार किए गए या अंतिम अद्यतन किए जाने की तारीख और समय प्रदर्शित करेगा।
- (3) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल एक्सेस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी या ऐसे अधिकृत अधिकारियों को वैध लॉग इन परिचय पत्र की आवश्यकता होगी।
- (4) केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए या अद्यतन किए गए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के तरीके को निर्दिष्ट कर सकती है।

23सी. ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर का अद्यतन करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के कर्तव्य - इसके लिए प्रत्येक लाइसेंसिंग प्राधिकरण या निर्दिष्ट प्राधिकारी जिम्मेदार होगा:

- (i) ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर लाइसेंस से संबंधित विवरण में किसी भी परिवर्तन का वास्तविक समय में तुरंत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतन करना।
- (ii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी या नवीनीकृत किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में वास्तविक समय में नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करना।

23डी. ड्राइविंग लाइसेंसों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक्सेस- ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल में संरक्षित और तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐसी एजेंसियों या संगठनों द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार उपयुक्त मानती है।”

- (22) उक्त नियमों में, नियम 27 में, खंड (ए) में, शब्दों "प्रपत्र 14 में एक रजिस्टर" के पश्चात् और शब्दों "और एक वर्णक्रमानुसारी सूची" से पहले शब्द "एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(23) उक्त नियमों में, नियम 32में, तालिका में,

(i) क्रम सं. 9 में: -

- (क) कॉलम उद्देश्य में, शब्दों "रियायत अवधि" के स्थान पर "ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) कॉलम राशि में, "रियायत अवधि की समाप्ति की तारीख से गणना की जाएगी" शब्दों के स्थान पर शब्द "ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष पश्चात् वसूला की जाएगा।"

(ii) क्रम सं. 13, कॉलम उद्देश्य में, शब्दों "किसी भी आवेदन के लिए" के पश्चात् और शब्दों "पते में परिवर्तन" से पहले निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -
"ड्राइविंग लाइसेंस से मोटर वाहनों के वर्ग या वर्गों को स्थायी रूप से हटाना"

(iii) क्रम सं. 13 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. 14 को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"14	डुप्लिकेट लाइसेंस को जारी करना	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क	18(4)	28(2)(सी)"
-----	--------------------------------	------------------------------------	-------	------------

(24) उक्त नियमों में, नियम 34 में, उप-नियम (2) में, खंड (बी) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(बी) रूपांतरित वाहन"

(25) उक्त नियमों में, नियम 41 में, उप-खंड (एच) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, -

"(आई) विनिर्माण संयंत्र, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, गोदाम, दुकान, अधिकृत डीलर या बिक्री के किसी भी स्थान से आगे बढ़ने या लौटने के लिए।

(जे) निर्यात के उद्देश्य के लिए लदान के स्थान तक";

(26) उक्त नियमों में, नियम 43 में, -

(i) उप-नियम (1) में:

(क) शब्द "प्रत्येक व्यापार प्रमाण पत्र धारक एक रजिस्टर रखेगा" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) शब्दों "डुप्लिकेट में, जो क्रम संख्याबद्ध पृष्ठों के साथ जिल्दबंद पुस्तक के रूप में होगा" के स्थान पर "मोटर वाहनों के लिए पोर्टल पर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) में, "डुप्लिकेट" शब्द के लिए, "मुद्रित" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii), उप-नियम (3) में, -

(क) शब्द "एक यात्रा के अंत में एक व्यापार प्रमाणपत्र धारक होगा" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रॉनिक" डाला जाएगा।

(ख) शब्दों "(मूल और डुप्लिकेट दोनों), और पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए रजिस्टर और डुप्लिकेट खुले होंगे।" का लोप किया जाएगा।

(27) उक्त नियमों में, नियम 47 में, -

(i) (i) उप-नियम (1) में, शब्दों "(1) मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को प्रपत्र 20 में आवेदन यात्रा की अवधि को छोड़कर इस तरह के वाहन की आपूर्ति प्राप्त करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके साथ होगा -" को निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(1) एक मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए प्रपत्र 20 में आवेदन उस राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण में किया दिया जाएगा, जहां मालिक का निवास या व्यवसाय स्थान हो, जहां वाहन को आमतौर पर रखा जाता है:

- (i) पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के रूप में खरीदे गए मोटर वाहन के मामले में, जिसे जिस राज्य में डीलर स्थित है उसके अलावा किसी अन्य राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है स्वामी द्वारा यात्रा की अवधि को छोड़कर ऐसे वाहन की आपूर्ति की तारीख से 1 [सात दिनों की अवधि के भीतर] किया जाएगा या;
- (ii) एक मोटर वाहन के मामले में, जिसे चेसिस के रूप में खरीदा जाता है, जिसकी बाँडी अलग से तैयार की जाती है, जिसे जिस राज्य में डीलर स्थित उसके अलावा किसी अन्य राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है, बाँडी के अलग से निर्मित होने के बाद मालिक द्वारा किया जाएगा, या;
- (iii) पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के रूप में खरीदे गए मोटर वाहन के मामले में, जिसे उसी राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर स्थित है, डीलर द्वारा वाहन की आपूर्ति से पहले किया जाएगा या;
- (iv) ऐसे मोटर वाहन के मामले में, जिसे चेसिस के रूप में खरीदा गया है, जिसके लिए अलग से बाँडी बनायी गयी है, जिसे उसी राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें डीलर स्थित है, अलग से बाँडी बनाए जाने के बाद डीलर द्वारा किया जाएगा;

मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गए प्रपत्र 20 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और शुल्क होंगे”;

(ii) उप-नियम (1) में, खंड (आईए) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(आईबी) सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए वाहन ट्रेकिंग डिवाइस लगाने का प्रमाण”;

(iii) उप-नियम (1) में, खंड (जे) का लोप किया जाएगा।

(iv) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(1ए) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ यदि उप-नियम (1) के खंड (iii) या (iv) के तहत डीलर द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो ऐसे वाहन का खरीदार उप-नियम (1) के उप-खंड (बी), (ई) और (के) के तहत डीलर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा, उप नियम (1) के तहत डीलर को आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करेगा।"

(vi) उप-नियम (2) में, "<https://www.vahan.nic.in/makermodel/>" का लोप किया जाएगा।

(vii) उप-नियम (5) में, "<https://www.vahan.nic.in/makermodel/>" का लोप किया जाएगा।

(28) उक्त नियमों में, नियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"47ए. धारा 52 (1) के तहत परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट के लिए पूर्व स्वीकृति - (1) जहां मोटर वाहन का मालिक नियम 112 के उप-नियम (1) और (3) के अनुसार मोटर वाहन में परिवर्तन करने या रिट्रोफिटमेंट करने का इरादा करता है, तो मालिक को या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल के माध्यम से या वास्तविक रूप में, प्रपत्र 22सी में पंजीकरण प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी;

(2) यदि प्रस्तावित परिवर्तन धारा 52 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित शर्तों, मानकों और विशिष्टताओं के तहत अनुमत है, तो पंजीकरण प्राधिकरण प्रपत्र 22सी के भाग I की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर या वास्तविक रूप में स्वामी को प्रपत्र 22सी के भाग II में पूर्व अनुमोदन प्रदान करता है;

(3) यदि पंजीकृत प्राधिकरण प्रपत्र 22सी की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन को मंजूरी नहीं देता या अस्वीकार नहीं करता है, तो पूर्व स्वीकृति दी जानी मानी जाएगी;

47बी. परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट का समर्थन - (1) जहां नियम 112 के उप-नियमों (1) या (2) के अनुसार किसी भी मोटर वाहन में परिवर्तन किया जाता है या रिट्रोफिट किया जाता है, तो वाहन का मालिक मोटर वाहन

के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट की प्रविष्टि करने के लिए या किसी भी परिवर्तन या रेट्रो-फिटमेंट के परिणामस्वरूप पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल विवरण में किसी भी परिवर्तन को दर्ज करने के लिए, उस राज्य में किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण, जहां उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है, जहां वाहन को सामान्य रूप से रखा जाता है या जिसमें परिवर्तन किया जाता है, या तो प्रपत्र 22डी में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक द्वारा स्वयं एक्सेस कर अथवा किसी सुविधा केंद्र की मदद से या अन्यथा, जो पंजीकरण के प्रमाण पत्र और नियम 81 में निर्दिष्टानुसार उचित शुल्क के साथ अनुपालन प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदन करेगा।

बशर्ते कि नियम 112 के उप-नियम (2) के अनुसार किए गए किसी भी परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट के लिए परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट समर्थन आवेदन के मामले में, धारा 52 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नियम 81 के तहत कोई शुल्क देय नहीं होगा:

बशर्ते कि इसके अलावा नियम 47ए के उप-नियम (1) के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट करने के लिए आवेदन परिवर्तन या परिवर्तन या रिट्रोफिटमेंट करने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा;

(2) नियम 112ए के अनुसार जहां किसी भी मोटर वाहन को रूपांतरित वाहन में परिवर्तित करने के लिए बदला जाता है, तो वाहन का मालिक, मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में रूपांतरित वाहन की प्रविष्टि करने के लिए उस राज्य में, जहां उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है, जहां वाहन को सामान्य रूप से रखा जाता है, प्रपत्र 22ई में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक द्वारा स्वयं एक्सेस कर अथवा किसी सुविधा केंद्र की मदद से या अन्यथा, पंजीकरण के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेगा।

(3) उप-नियम (1) या (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकरण प्रपत्र 22एफ या प्रपत्र 22जी में अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आधार पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर पंजीकरण का प्रमाण पत्र में परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट या रूपांतरित वाहन की प्रविष्टि कर सकता है;

(4) उप-नियम (2) के तहत इस तरह के किसी भी समर्थन करने वाला मूल पंजीकरण प्राधिकरण के अलावा एक पंजीकरण प्राधिकरण इस समर्थन के बारे में मूल पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करेगा:

बशर्ते कि मोटर वाहनों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन की प्रविष्टि या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल को मूल पंजीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचन माना जाएगा";

(29) उक्त नियमों में, नियम 48 के लिए निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"48. पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना - (1) धारा 41 के उप-धारा

(1) के दूसरे परंतुक के अनुसार पूरी तरह से निर्मित नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए डीलर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर मालिक द्वारा उस राज्य में, जहां उसका निवास या व्यवसाय का स्थान है के अलावा अन्य राज्य में पूर्ण रूप से निर्मित नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए पोर्टल पर नियम 47 के अनुसार शुल्क और करों का भुगतान, पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए तुरंत एक पंजीकरण चिह्न जनरेट किया जाएगा;

(2) वाहन निर्माता का डीलर नियम 50 के अनुसार पंजीकरण के चिह्न को चिपकाएगा;

(3) मालिक के नाम पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रपत्र 23ए में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा;

(4) मोटर वाहन के पंजीकरण की प्रभावी तिथि उप-नियम (1) के तहत पंजीकरण चिह्न को जनरेट करने की तारीख होगी;

(30) उक्त नियमों में, नियम 48 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"48ए. किसी मोटर वाहन के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना, जिसकी बाँड़ी खरीदे गए चेसिस से अलग तैयार की गयी है - मोटर वाहन के डीलर या मालिक द्वारा पंजीकरण का आवेदन करने पर, जिसकी बाँड़ी खरीदी गई चेसिस से अलग से तैयार किया गया है और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहन के

निरीक्षण के आधार पर पोर्टल पर नियम 47 के अनुसार शुल्कों और करों का भुगतान और धारा 62ए की उप-धारा (1) के अनुसार एक पंजीकरण चिह्न जनरेट किया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो दिनों के भीतर प्रपत्र 23ए में पंजीकरण का प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा;

(1) वाहन निर्माता का डीलर पंजीकरण नियम 50 के अनुसार चिह्न को चिपकाएगा;

(2) मोटर वाहन के पंजीकरण की प्रभावी तिथि उप-नियम (1) के तहत पंजीकरण चिह्न जनरेट करने की तारीख होगी;

बशर्ते कि जहां किसी परिवहन वाहन का पंजीकरण का प्रमाण पत्र जहां से संबंधित है, वहां ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रपत्र 38 में फिटनेस प्रमाण पत्र दर्ज करने के बाद ही पंजीकृत मालिक को सौंप दिया जाएगा;

48बी. पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन - अधिकृत डीलर द्वारा बेचे गए किसी मोटर वाहन, यदि यह पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन है, को पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष पहली बार पंजीकरण के प्रयोजनार्थ के पहले उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी।

बशर्ते कि का.आ. 1215 (ई), दिनांक 08 मार्च 2019 के क्रम संख्या (ii) पर निर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी योग्यता वाले एक अधिकारी और मोटर वाहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक के रैंक से नीचे नहीं, डीलर के परिसर की वस्तु सूची में किसी भी वाहन का औचक निरीक्षण कर सकता है।”

(31) उक्त नियमों में, नियम 49 के लिए, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“49. पंजीयन प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण रिकॉर्ड रखा जाएगा - प्रत्येक पंजीकरण प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र 24 में, इसके द्वारा धारा 41 के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों और अन्य राज्यों के मोटर वाहनों, जिसके लिए धारा 47 की उप धारा (2) के तहत इसके द्वारा नए पंजीकरण चिह्न दिए गए हैं और संबंधित पंजीकरण संख्या के तहत इस तरह के रिकॉर्ड में भी दर्ज किए जाएंगे, इसके द्वारा धारा 43 के तहत अस्थायी रूप से पंजीकृत मोटर वाहनों के और अस्थायी पंजीकरण चिह्न भी दर्ज किए जाएंगे, धारा 41 की उप धारा (10) या उप-धारा (14), धारा 49 की उपधारा (5), धारा 50 की उपधारा (6), धारा 51 की उप धारा (1), (2), (3) और (5), (1), धारा 52 की (1ए), (2) और (4), धारा 53 के तहत निलंबन का आदेश और धारा 54 तथा 55 के तहत रद्द करने का आदेश के प्रावधानों के संदर्भ में किए गए सभी परिवर्तन का ब्योरा रखेगा”;

(32) नियम 52 में, -

(i) उप-नियम (1) में, -

(क) शब्दों "जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजीकरण प्राधिकरण", के स्थान पर शब्दों "जिसमें, जिस राज्य में कोई भी पंजीकरण प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) में, -

(क) शब्दों "पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण" के पश्चात् शब्दों ",पांच वर्षों की अवधि के लिए" अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"बशर्ते कि इसके अलावा पंजीकरण के प्रमाण पत्र की समाप्ति के पहले की तारीख को फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, तो इस मामले में नवीनीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए पंजीकरण के प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगा:

बशर्ते कि मोटर वाहनों के लिए पोर्टल पर या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए पोर्टल पर पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण को दर्ज करने को धारा 41 (10) के प्रयोजनार्थ मूल पंजीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा;

(iii) उप- नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

“(4) परिवहन वाहनों के मामले में, पंजीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता तक होगी।

(33) उक्त नियमों में, नियम 53 में, उप-नियम (2) में, शब्दों "पिछला पंजीकरण प्राधिकरण" के स्थान पर शब्दों "उस राज्य में, जहां वाहन को पिछली बार पंजीकृत किया है, कोई भी पंजीकृत प्राधिकरण" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(34) उक्त नियमों में, नियम 53 के निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"53ए. अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन - मोटर वाहन को उस राज्य, जिसमें डीलर स्थित है, के अलावा किसी अन्य राज्य में या खरीदी गई चेसिस, जिस पर बाँडी को अलग से तैयार किया जाना है, के मामले में पंजीकृत किया जा रहा है, तो अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन स्वामी द्वारा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी पंजीकरण प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र 20 में किया जा सकता है और यह नियम 81 में यथा निर्दिष्ट उचित शुल्क के साथ नियम 47 के उप नियम (1) अनुसार मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों के साथ होना चाहिए;

53बी- अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना - (1) आवश्यक शुल्क के साथ अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत प्रपत्र 23बी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जनरेट किया जाएगा;

(2) उप-नियम (1) के तहत किया गया कोई भी अस्थायी पंजीकरण को उसके जारी करने की तारीख से छह महीने की प्रारंभिक अवधि के लिए मान्य होगा:

बशर्ते कि उप-नियम (1) के तहत जहां मोटर वाहन पंजीकृत है, वह एक चेसिस है, जिसमें बाँडी को संलग्न नहीं किया गया है और उसे उक्त छह महीने से अधिक समय तक बाँडी के साथ संलग्न रहने के कारण या मालिक के नियंत्रण से परे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण किसी कारखाने से रखा गया है, तो पंजीकरण प्राधिकरण प्रपत्र 20बी में आवेदन जमा करने और मालिक द्वारा नियम 81 में यथा निर्दिष्टानुसार उचित शुल्क का भुगतान करने पर वैधता की प्रारंभिक अवधि को एक या अधिक बार, जैसा पंजीकरण प्राधिकरण उचित मान सकता है, हर बार 30 दिनों तक बढ़ा सकता है।

(3) उप-नियम (2) के तहत आगे की किसी भी अवधि या अवधियों के लिए अस्थायी पंजीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता की प्रारंभिक अवधि का विस्तार करने पर, पंजीकरण प्राधिकरण प्रपत्र 23 बी में उचित प्रविष्टि करेगा;

53सी- अस्थायी पंजीकरण चिह्नों को सौंपना - (1) अस्थायी प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पंजीकरण प्राधिकरण वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण चिह्न प्रदान करेगा, उदाहरण के लिए: -

टी- अस्थायी प्रमाणपत्र दर्शाता है

08- पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने का महीना

20- पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने का वर्ष

एबी- राज्य कोड दर्शाता है

1234- अस्थायी पंजीकरण की क्रम संख्या

एबी- अस्थायी पंजीकरण की वर्णमाला (ओ और आई को छोड़कर)

(2) मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त चिह्न मोटर वाहन के आगे और पीछे चिपका दिया गया है।”

(35) उक्त नियमों में, नियम 55 में, -

(i) उप-नियम (1) में, शब्दों "हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती का निवास या उनके व्यवसाय का स्थान" के लिए शब्दों "हस्तांतरण प्रभावी है" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

“(४) मोटर वाहनों के पोर्टल पर या मोटर वाहन के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर किसी भी मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण को धारा 50 (7) के प्रयोजनार्थ मूल पंजीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा”;

(36) उक्त नियमों में, नियम 59 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"59. निवास में परिवर्तन- (1) मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में निवास में परिवर्तन दर्ज करने के लिए आवेदन वाहन के मालिक द्वारा प्रपत्र 33 में नियम 4 में निर्दिष्ट तरीके से पंजीकरण के प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण और नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क के साथ एक पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तो आवेदक द्वारा स्वयं एक्सेस करके या सुविधा केंद्र की मदद से, या अन्यथा जमा करके किया जाएगा,;

(2) धारा 49 (1ए) के अधीन, उप-नियम (1) में जमा किए गए आवेदन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत ई-हस्ताक्षर के माध्यम से आवेदक की पहचान की पुष्टि करने के बाद प्रमाणित किया जा सकता है या हस्ताक्षर सत्यापन के कोई अन्य तरीके अथवा केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सत्यापन के द्वारा सत्यापित किया जाएगा।;

(3) मोटर वाहनों के पोर्टल पर या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पंजीकरण प्रमाण पत्र में परिवर्तित पते की प्रविष्टि को धारा 49 (6) के प्रयोजनार्थ मूल पंजीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा"

(37) उक्त नियमों में, नियम 60 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"60. किराया-खरीद समझौतों का समर्थन, आदि- (1) धारा 51 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टे या उपप्राधीयन समझौते की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन प्रपत्र 34 में पंजीकृत वाहन मालिक और फाइनेंसर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा नियम 81 में यथा निर्दिष्टानुसार उचित शुल्क के साथ करना होगा;

(2) मोटर वाहनों के पंजीकरण के पोर्टल या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर पंजीकरण के प्रमाण पत्र में किराया- खरीद, पट्टे या उपप्राधीयन समझौते के समर्थन को दर्ज करना धारा 51 (12) के प्रयोजनार्थ मूल पंजीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा"

(38) उक्त नियमों में, नियम 61 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"(4) मोटर वाहनों के पंजीकरण के पोर्टल या मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर किराया- खरीद करार, पट्टे या उपप्राधीयन समझौते को समाप्त करने को दर्ज करना धारा 51 (12) के प्रयोजनार्थ मूल पंजीकरण प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसूचना माना जाएगा"

(39) उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“(4) फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से साठ दिन पहले नहीं किया जा सकता है;

(5) जहां फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद किसी तारीख को फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है, तो नवीनीकरण फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा;

बशर्ते कि जहां फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के पूर्व किसी तारीख को फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है, तो नवीनीकरण फिटनेस का प्रमाण पत्र प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा”

(40) उक्त नियमों में, नियम 75 के पश्चात् निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"75ए. मोटर वाहनों का राष्ट्रीय रजिस्टर - (1) केंद्र सरकार मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित और उसका रख-रखाव रखेगी, जिसमें प्रपत्र 24 में प्रत्येक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहनों से संबंधित सभी विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भंडार होगा;

(2) केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रण योग्य, साझा करने योग्य रूप में इस तरह के पोर्टल पर डेटा को रखा, संग्रहीत और संरक्षित किया जाएगा;

(3) मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2020 के लागू होने की तारीख से वे राज्यों, जिन्होंने मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर में निहित डेटा सहित सभी सूचना केंद्र सरकार को प्रेषित नहीं की है, को मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ समानुक्रमण के लिए केंद्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2020 के लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर केंद्र सरकार को प्रपत्र 24 में राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर में निहित डेटा सहित सभी सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संसूचित करना होगा।

75बी. पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक्सेस और अद्यतन - (1) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल का उपयोग पंजीकरण प्राधिकरणों या प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार द्वारा पदेन ऐसे प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाएगा हैं:

(i) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक्सेस;

(ii) अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक समय में, मोटर वाहनों से संबंधित किसी भी विवरण का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अद्यतन;

(iii) पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किसी भी मोटर वाहन के संबंध में वास्तविक समय में एक नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना;

(2) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर, हर समय, किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल में निहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए गए या अंतिम अद्यतन की तारीख और समय प्रदर्शित करेगा;

(3) उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल के एक्सेस के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण या ऐसे अधिकृत अधिकारियों को वैध लॉग इन प्रत्यायक की आवश्यकता होगी;

(4) केंद्र सरकार मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए या अद्यतन किए गए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण का तरीका निर्दिष्ट कर सकती है;

75सी. मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर का अद्यतन करना पंजीकरण प्राधिकरणों का कर्तव्य है- प्रत्येक पंजीकरण प्राधिकरण या निर्धारित प्राधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे:

(i) मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल पर मोटर वाहनों के पंजीकरण से संबंधित विवरण में किसी भी परिवर्तन का इलेक्ट्रॉनिक रूप से वास्तविक समय में तुरंत अद्यतन करना।

(ii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किसी भी मोटर वाहन के संबंध में वास्तविक समय में नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना।

75डी- मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के पोर्टल में संरक्षित और रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक्सेस ऐसी एजेंसियों या संगठनों द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें केंद्र सरकार उपयुक्त मानती है”

(41) उक्त नियमों में, नियम 81में, तालिका में,

(i) क्रम सं.4 के पश्चात् और क्रम सं. 5 के पूर्व निम्नलिखित को अंतःस्थापित जाएगा, नामतः -

4ए	पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करना या विस्तार करना	क्रम सं. 4 के निमित्त उल्लिखित शुल्क का आधा	53ए	
----	--	---	-----	--

(ii) कॉलम नंबर (2) में क्रम सं.8 में शब्दों "पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज में परिवर्तन" के पश्चात् शब्दों ",अनुभाग 52 (1 ए) और 52 (2) के तहत किए गए परिवर्तन को छोड़कर" अंतःस्थापित किया जाएगा”;

(42) उक्त नियमों में, नियम 112 के लिए, निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"112. मोटर वाहन में परिवर्तन - (1) अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के तहत मोटर वाहन में कोई भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट जिसमें ईंधन में, आगे को धक्का देने वाली प्रणाली का रूपांतरण, इंजन का प्रतिस्थापन, चेसिस का प्रतिस्थापन या बॉडी संरचना में परिवर्तन शामिल, लेकिन सीमित नहीं, का अनुपालन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों, मानकों और विशिष्टताओं के साथ होगा और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा, -

- (i) मूल उपकरण निर्माता या
- (ii) वाहन निर्माता का डीलर या
- (iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या
- (iv) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन;

बशर्ते कि चेसिस में परिवर्तन के लिए चेसिस के प्रतिस्थापन सहित किसी भी परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते नए चेसिस, एक ही प्रकार के हैं, की आपूर्ति उसी निर्माता द्वारा की जाती है और चेसिस के रूपांतरण का अभिप्राय एक प्रकार के मोटर वाहन के लिए है और अन्य प्रकार के मोटर वाहन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी;

(2) अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1 ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निदेश के अनुसार सुरक्षा उपकरणों या किसी अन्य उपकरण के किसी भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट, केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त नियम के तहत अधिसूचित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार होगा और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा-

- (i) मूल उपकरण निर्माता या
- (ii) वाहन निर्माता का डीलर या
- (iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या
- (iv) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन;

(3) उप-नियम (1) के तहत बनाए गए मोटर वाहन में किसी भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट का अनुपालन नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षण या मान्य किया जाएगा या वाहन के मूल उपकरण निर्माता या डीलर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा और उप-नियम (1) के तहत परिवर्तन करते हुए प्रपत्र 22एफ में या तो पोर्टल पर या मालिक को वास्तविक रूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा;

(4) उप-नियम (2) के तहत बनाए गए सुरक्षा उपकरण या अन्य कोई उपकरण में किसी भी परिवर्तन या रेट्रोफिटमेंट नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा उसके प्रकार से संबंधित नियम के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा और इसके अनुपालन के लिए या वाहन के मूल उपकरण निर्माता या डीलर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा स्व-प्रमाणित किया जाएगा और उप-नियम (1) के तहत परिवर्तन करते हुए प्रपत्र 22एफ में या तो पोर्टल पर या मालिक को वास्तविक रूप में प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

(43) उक्त नियमों में, नियम 112 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"112ए. रूपांतरित वाहन में परिवर्तित करने के लिए मोटर वाहन में परिवर्तन - (1) अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (2) के तहत मोटर वाहन में किसी भी परिवर्तन को रूपांतरित वाहन में परिवर्तित करने का काम इस नियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों या लागू किसी अन्य नियम के अनुसार होगा और यह निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा-

- (i) मूल उपकरण निर्माता या
- (ii) वाहन निर्माता का डीलर या
- (iii) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या
- (iv) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन

(2) उप-नियम (1) के तहत या तो मूल उपकरण निर्माता या वाहन निर्माता के डीलर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कारखाने या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन परिवर्तन करते हुए प्रपत्र 22जी में अनुपालन का प्रमाण पत्र या तो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या मालिक को वास्तविक रूप में जारी करेगा।"

(44) उक्त नियमों में, नियम 113 का लोप किया जाएगा।

(45) उक्त नियमों में, नियम 114 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"114. एग्जास्ट गैस, एग्जास्ट पाइप - (1) प्रत्येक मोटर वाहन का निर्माण या उसे सुसज्जित ऐसे किया जाएगा कि इंजन से एग्जास्ट गैसों को न तो नीचे की ओर और न ही वाहन के बाईं ओर बाहर छोड़ा जाए, बल्कि ऐसा फिट किया जाए जिससे गैस वाहन की दाईं ओर या पीछे की ओर बाहर निकल सके:

बशर्ते विस्फोटक और ज्वलनशील सामान ले जाने वाले टैंकों के मामले में एग्जास्ट पाइप को विस्फोटक के निरीक्षक के निर्देशानुसार जोड़ा जाना होगा:

बशर्ते कि इसके अलावा उन वाहनों में, जहां एग्जास्ट गैसों को वाहन के दाईं ओर से बाहर छोड़ा जाता है, वहां थोड़ा नीचे कोण की अनुमति होगी, बशर्ते जब वाहन स्थिर और इंजन चल रहा हो, तो एग्जास्ट गैस धूल को ऊपर की ओर ना फेंके और किसी भी स्थिति में क्षैतिज करने के लिए पाइप का कोण 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि जहां एग्जास्ट गैसों को वाहन के बाईं ओर बाहर छोड़ा जाता है, वहां एग्जास्ट पाइप का झुकाव नीचे की ओर 30 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और ऊर्ध्वाधर सतह पर बाईं दिशा में 30 डिग्री, जिसमें वाहन की मध्य रेखा भी शामिल है, होना चाहिए, बशर्ते वाहन के स्थिर होने और इंजन के चालू रहने पर एग्जास्ट गैसों धूल ना उड़ाएं:

बशर्ते इसके अलावा, कृषि ट्रैक्टरों के मामले में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज एग्जास्ट पाइप प्रदान किया जा सकता है और इस पाइप की निकासी की दिशा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह चालक का सिर-स्तर के भारतीय मानक 1 [आईएस 12239 (भाग 1): 1996]: के अनुसार ट्रैक्टर चालक के सिर के ऊपर या उसके बाजू से एग्जास्ट गैसों के संपर्क में नहीं आना चाहिए।

बशर्ते कि निर्माण उपकरण वाहन के मामले में ऊर्ध्वाधर एग्जास्ट पाइप लगाया जा सकता है और इस पाइप की निकासी उस दिशा में होनी चाहिए कि वाहन चालक एग्जास्ट गैसों के संपर्क में न आए;

- (2) इस उप-नियम के प्रारंभ होने की तारीख को और से निर्माण उपकरण वाहन और कंबाइन हारवेस्टर सहित किसी भी मोटर वाहन का एग्जास्ट पाइप ईंधन टैंक और इंजन से जुड़ने वाली ईंधन लाइन से 35 मिलीमीटर के भीतर स्थित नहीं होगा;
- (3) प्रत्येक सार्वजनिक सेवा वाहन का एग्जास्ट पाइप इस प्रकार लगा या परिरक्षित होगा कि वाहन के किसी अन्य भाग से उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ न फेंका जाएं और वाहन पर इससे किसी ज्वलनशील पदार्थ की निकटता के कारण आग लगने की संभावना न हो"
- (46) उक्त नियमों में, नियम 144 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा,

"144ए. रूपांतरित वाहन की रिकॉर्डिंग - धारा 52 (2) के तहत जब किसी बीमित मोटर वाहन को रूपांतरित वाहन में परिवर्तित किया जाता है, तो मालिक को, जिस तारीख पर नियम 47बी के तहत पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र में समर्थन किया जाता है, उस तारीख से चौदह दिनों के भीतर वाहन पंजीकरण के समर्थन प्रमाण पत्र के साथ उस अधिकृत बीमाकर्ता को सूचित करेगा, जिसने किए गए रूपांतरण के विवरण का बीमा किया है, ताकि प्राधिकृत बीमाकर्ता अपने रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव कर सके।"

(47) अध्याय VIII के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"अध्याय IX- विविध-

- 169. केंद्रीय सरकार द्वारा पोर्टलों की अधिसूचना -** (1) केंद्र सरकार, केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2020 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर धारा 211ए और केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2019 को प्रभावी बनाने के लिए पोर्टलों की स्थापना और रखरखाव करेगी;
- (2) उप-नियम (1) की व्यापकता के बावजूद, केंद्र सरकार नियम 2 (एक्सए) में निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल की स्थापना और रखरखाव करेगी;
- 170. किसी भी राज्य सरकार द्वारा रखरखाव किए गए पोर्टलों को बंद करना -** (1) राज्य सरकार द्वारा धारा 211ए के तहत उल्लिखित मामलों में से सभी या किसी एक नियम को प्रभावी बनाने के लिए कोई भी वेब और / या मोबाइल आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को स्थापित और उसका रखरखाव किया जाता है, जिसमें नियम 2 (एक्सए) में निर्दिष्ट कोई भी कार्य शामिल है, को केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियमावली, 2020 के लागू होने के पहले से मौजूद केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियमावली, 2020 की तारीख से छह महीने के भीतर बंद कर दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल को उस राज्य में उपलब्ध कराया जाएगा:

बशर्ते कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को पुनर्निर्देशित कर सकती है;

- 171. पोर्टल्स की अधिसूचना -** (1) केंद्र सरकार द्वारा नियम 17 के तहत स्थापित और रखरखाव किए गए किसी भी पोर्टल के लिए, केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है:
- पोर्टल के कार्य;
 - पोर्टल एक्सेस करने के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता;
 - वह विधि जिसमें उपयोगकर्ता पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं;
 - प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए उपयोग की अनुमति की सीमा;
 - तैयार या जारी किया गया तरीका और प्रारूप, जिनमें प्रपत्रों और दस्तावेजों को दर्ज किया जाएगा, जिसमें प्रपत्र पर हस्ताक्षर चिपकाने का तरीका शामिल है;

172. भुगतान की विधि - (1) अधिनियम या इन नियमों के अनुसार नियम 32 और नियम 81 के तहत किसी शुल्क की रसीद सहित एक पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कोई शुल्क या प्रभार, किसी भी प्रपत्र या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाने या जारी करने या कोई रसीद या धन का भुगतान और धारा 200 के तहत अपराध के जुर्माने की राशि की प्राप्ति के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य तरीके से भुगतान किया जाएगा;

173. दस्तावेजों का प्रमाणीकरण - (1) एक पोर्टल के माध्यम से दायर सभी प्रपत्र, आवेदन और दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) के प्रावधानों के तहत ई-हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किए जा सकते हैं या अधिसूचित हस्ताक्षर या केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के किसी अन्य तरीके से सत्यापित किए जा सकते हैं, जैसे किसी सुविधा केंद्र पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी प्रपत्र, आवेदन या दस्तावेज को जमा करने की सुविधा का सत्यापन;

(2) सभी लाइसेंस, पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, संस्वीकृति, अनुमोदन और समर्थन और कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों, जैसा भी मामला हो, द्वारा तैयार किया जा सकता है जारी किया जा सकता है या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के तहत यथा निर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन के किसी अन्य तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किया जा सकता है;

174. एक पोर्टल की स्थापना और रखरखाव - इस अध्याय के प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार को एक निकाय कॉर्पोरेट या एक एजेंसी को किसी भी पोर्टल को स्थापित करने और उसका रखरखाव करने के कार्य को सौंपने का अधिकार होगा"

(48) उक्त नियमों में, प्रपत्र 1 का लोप किया जाएगा।

(49) उक्त नियमों में, प्रपत्र 1 ए में: -

(क) क्रम संख्या 1 के पश्चात् नामतः "आवेदक का नाम", निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"1ए. का बेटा / पत्नी / बेटी

1बी. स्थायी पता

1सी. जन्म की तारीख"

(ख) क्रम संख्या 3 (जी) (बी) के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों "प्रपत्र में आवेदक द्वारा उसकी शारीरिक फिटनेस से जुड़ी घोषणा की गई है" का लोप किया जाएगा।

(ग) "मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र" में शब्दों "और, इसलिए, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विवेक निर्धारण से, वह ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त / उपयुक्त नहीं है" के पश्चात् "एक रूपांतरित वाहन के अलावा अन्य वाहन चलाने के लिए" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;"

(50) उक्त नियमों में, प्रपत्र 2 में, -

1. तालिका में क्रम सं.1 के पश्चात् "वाहनों का वर्ग (सीओवी): नए लरनर्स लाइसेंस या नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू" -

(क) शब्दों नामतः "गैर परिवहन वाहन (एलएमवी एनटीवी) के रूप में" का लोप किया जाएगा;

(ख) शब्दों "अमान्य गाड़ी", शब्दों के लिए "रूपांतरित वाहन" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) शब्दों "मोटर वाहन के रूप में हल्के परिवहन वाहन" को लोप किया जाएगा;

2. तालिका में क्रम संख्या 2 के पश्चात् पंक्ति के बाद "आवेदक का व्यक्तिगत विवरण (कैपिटल लेटर्स में)"

पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
----------	----------	-----------

निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा,

का बेटा/पत्नी/बेटी	
जन्म की तारीख	
पहचान चिह्न	

3. शब्दों “मोटर यान अधिनियम, 1988 धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत घोषणा” के पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

“शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में स्व घोषणा”

(क) क्या आप मिर्गी रोग से पीड़ित हैं या किसी कारण से अचानक बेहोशी या चक्कर आने की शिकायत से पीड़ित हैं? हां/नहीं

(ख) क्या आप प्रत्येक आंख (या यदि आपके पास पांच वर्ष से कम अवधि के लिए मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है और यदि आप उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् एक आंख की दृष्टि खो चुके हैं और यदि आवेदन स्टीयरिंग व्हील के बाजू में एक बाहरी दर्पण लगाए गए परिवहन वाहन के अलावा एक हल्के मोटर वाहन को चलाने के लिए है) या एक आंख से दिन की साफ रोशनी में 25 मीटर की दूरी पर (चश्मे से, अगर पहना जाता है) एक मोटर कार की नंबर प्लेट में अंतर करने में सक्षम हैं? हां/नहीं

(ग) क्या आप हाथ या पैर खो चुके हैं या आप हाथ या पैर की मांसपेशियों की किसी भी खराबी से पीड़ित हैं? हां/नहीं

(घ) क्या आप आसानी से वर्णक रंगों, लाल और हरे रंग में अंतर कर सकते हैं? हां/नहीं

(ङ.) क्या आप रतौंधी से पीड़ित हैं? हां/नहीं

(च) क्या आप इतने बधिर हैं कि साधारण ध्वनि संकेत सुनने में असमर्थ हैं (और यदि आवेदन श्रवण यंत्र (हियरिंग ऐड) लगाए हुए या उसके बगैर हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए है)? हां/नहीं

(छ) क्या आप किसी अन्य बीमारी या अपंगता से पीड़ित हैं, जिससे आपके द्वारा मोटर वाहन चलाना जनता के लिए खतरे का कारण बन सकता है, यदि हां, तो विवरण दें। हां / नहीं

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण और उसमें की गई घोषणाएं सत्य हैं।

(आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

नोट: (1) एक आवेदक, प्रश्न (क), (ग), (ङ.), (च) और (छ) में से किसी का भी "हां" या (ख) और (घ) में से किसी का "नहीं" उत्तर देता है, तो उसे पूर्ण विवरणों के साथ अपने उत्तरों की व्याख्या करनी चाहिए और इसके अतिरिक्त संबंधित सूचना देने की आवश्यकता हो सकती है।”

(51) उक्त नियमों में, प्रपत्र 3 में, शब्द "निर्दिष्ट क्षेत्रों या मार्गों में," का लोप किया जाएगा

(53) उक्त नियमों में, प्रपत्र 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:

“प्रपत्र 8

[नियम 17ए देखें]

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वर्ग के स्थायी समर्पण और वाहनों की वर्ग हेतु आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

लाइसेंस प्राधिकारी

.....

पासपोर्ट आकार के फोटो के लिए स्थान

मैं एतद्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित वर्ग के स्थायी समर्पण अथवा वाहनों की वर्ग के लिए आवेदन करता हूँ, जैसा भी लागू हो:

- a. गियररहित मोटर साइकिल
- b. गियरयुक्त मोटर साइकिल
- c. रूपांतरित वाहन
- d. हल्के मोटर वाहन
- e. परिवहन वाहन

अन्य, जो उपर्युक्त वर्ग में शामिल नहीं हैं

आवेदक का नाम: _____

पता: _____

जन्म तिथि: _____

ड्राइविंग लाइसेंस संख्या: _____

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान;

(53) कथित नियमों में, प्रपत्र 10 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रपत्र को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**“प्रपत्र 10ए
[नियम 23ए(1) और (4) देखें]**

ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर का प्रपत्र

1. (क) ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और जारी करने की मूल तारीख
(ख) लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिसने लाइसेंस जारी किया
(ग) अधिकारी का नाम और पदनाम जिसने ड्राइविंग परीक्षा ली है और लाइसेंस धारक द्वारा परीक्षा पास करने की तारीख

2. ड्राइविंग लाइसेंस धारक का नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण:

- (क) धारक का नाम (अभिभावक के नाम के साथ, यदि अवयस्क हो)
- (ख) जन्म तिथि
- (ग) शैक्षणिक योग्यता
- (घ) स्थायी पता
- (ङ) अस्थायी पता/कार्यालय का पता (यदि कोई हो)
- (च) बाद में पता का परिवर्तन
- (छ) दिए गए लाइसेंस के लिए वाहन का वर्ग और प्रकार
- (ज) तारीख के साथ वाहनों की अनुवृद्धि (यदि कोई हो)
- (झ) लाइसेंस की समाप्ति और आगे नवीनीकरण की तारीख (लाइसेंस नवीकृत करने वाले लाइसेंसिंग प्राधिकारी के ब्यौरे सहित)
- (ञ) ड्राइविंग लाइसेंस धारक के संबंध में, ड्राइविंग लाइसेंस को रोकने/निलंबन/निरस्त करने, अयोग्यता, जुर्माना, रद्दीकरण, इत्यादि का ब्यौरा
- (ट) मोबाइल नंबर

1. ड्राइविंग लाइसेंस धारक का फोटो और हस्ताक्षर”;

(54) कथित नियमों में, प्रपत्र 19 में, सारणी में, शब्द “परिसर में वापसी के घंटे” के पश्चात, और शब्द “वाहन द्वारा” से पहले, “अथवा गंतव्य पर पहुंचना” शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(55) कथित नियमों में, प्रपत्र 20 में: -

- a. शीर्षक में, शब्द “पंजीकरण के लिए आवेदन” के पश्चात और शब्द “एक मोटर वाहन का” के पहले, “अथवा अस्थायी पंजीकरण” शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- b. शीर्षक में, शब्द और अंकों के पश्चात, अर्थात “(नियम 47 देखें)”, शब्दों और अंक, “और नियम 53ए” अंतःस्थापित किया जाएगा;
- c. “के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान” शब्द के पश्चात शब्द “पंजीकृत वाहन मालिक के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले व्यक्ति” शब्द के लिए “वाहन मालिक का नमूना हस्ताक्षर के साथ डीलर” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- d. “मोटर वाहन का निरीक्षण प्रमाणपत्र” शब्द के पश्चात शब्द “क्रय की गई चेसिस जिसकी बाँडी अलग से तैयार की गई है” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(56) कथित नियमों में, प्रपत्र 20 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“प्रपत्र 20B

[नियम 53बी(2) देखें]
अस्थायी पंजीकरण के विस्तार के लिए आवेदन

अस्थायी पंजीकरण चिह्न -----
वाहन मालिक का नाम -----
अस्थायी पंजीकरण के प्रदानगी की तारीख -----

प्रपत्र 23बी के अनुसार अस्थायी पंजीकरण की वैधता की मूल अवधि ----- से -----

मांगे गए विस्तार की अवधि:

----- से ----- तक

----- से ----- तक

विस्तार के लिए कारण: बाँडी के साथ फिट किए जाने के लिए/ वाहन मालिक के नियंत्रण से परे किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण

शुल्क अदायगी ब्यौरा: -----

दिनांक -----

वाहन मालिक के हस्ताक्षर”;

(57) कथित नियमों में, प्रपत्र 21 में, शब्दों (क) के लिए शब्दों “प्रमाणित किया जाता है कि (वाहन का ब्रांड का नाम) हमारे द्वारा आपूर्ति की जा चुकी है, यह वाहन किराया-खरीद/पट्टे/उपप्राधीयन के करार के अधीन है”, को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा,

“भाग I- स्वामी द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन के मामले में प्रमाणित किया जाता है कि(वाहन का ब्रांड का नाम) को हमारे द्वारा को.....(दिनांक) को आपूर्ति की जा चुकी है।

भाग II- डीलर द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन के मामले प्रमाणित किया जाता है कि(वाहन का ब्रांड का नाम) को हमारे द्वारा को.....(दिनांक) को बेचने के लिए सहमति हो चुकी है और हमारे द्वारा

को धारा 41(6) के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन पर प्रदर्शन के बाद ही धारा 41(6) के तहत पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण चिह्न निर्दिष्ट करने के पश्चात वाहन की आपूर्ति की जाएगी।

भाग III- चेसिस खरदीन के मामले में

प्रमाणित किया जाता है कि(चेसिस) को हमारे द्वारा
को.....(दिनांक) को अस्थायी रूप से आपूर्ति की जा चुकी है।

भाग IV- भाग I, भाग II और भाग III के मामले में लागू

क्रेता का नाम

मोबाइल नंबर.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री

पता (स्थायी)

(अस्थायी)

यह वाहन किराया-खरीद/पट्टे/उपप्राधीयन सहित करार के अधीन है”;

(58) कथित नियमों में, प्रपत्र 22 में, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -

“प्रपत्र 22

[नियम 47 (1)(ख), 115, 116, 119, 120, 124 और 126 देखें]

अनुपालन का सड़क गुणता प्रमाणपत्र

(वाहन के साथ-साथ ई-रिक्शा अथवा ई-कार्ट के मामले में निर्माता या आयातक या पंजीकृत संस्था को जारी किया जाने वाला)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का अनुपालन करता है और इस आधार पर नियम बनाए गए हैं:

1. वाहन का मॉडल/नाम
2. चैसिस नंबर (वाहन पहचान नंबर (वीआईएन) या टीआईएन या पीआईएन)
3. (क) इंजन नंबर:
(ख) मोटर नंबर (बैट्री चालित, हाइब्रिड के मामले में):
4. लागू उत्सर्जन मानक:
[भारत स्टेज-IV / VI / भारत (ट्रेम) स्टेज-III/ IIIए, इत्यादि]
5. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुसार टाइप अनुमोदन के दौरान प्राप्त उक्त वाहन मॉडल के हार्न और पास के लिए ध्वनि स्तर उत्सर्जन नीचे दिए गए हैं:
 - i. मॉडल टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र नंबर:
 - ii. वाहनों के लिए उत्सर्जन मान्यता

(क) निश्चित ज्वलन इंजन के साथ सुसज्जित

क्र. सं.	प्रदूषक (जैसा लागू हो)	इकाई	परिमाण
(1)	(2)	(3)	(4)
	कार्बन मोनोआक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
	हाइड्रोकार्बन (टीएचसी/एचसी)	मिग्रा/किग्रा	
	गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन	मिग्रा/किग्रा	
	नाइट्रोजन आक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
5a.	हाइड्रोकार्बन + नाइट्रोजन आक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
5b.	टीएचसी + नाइट्रोजन आक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
6.	कणिक पदार्थ का भार (पीएम)	मिग्रा/किग्रा	
7.	कणों की संख्या	सं./किमी	

(ख) संपीडित ज्वलन इंजन के साथ सुसज्जित

क्र. सं.	प्रदूषक (जैसा लागू हो)	इकाई	परिमाण
(1)	(2)	(3)	(4)
	कार्बन मोनोआक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
	हाइड्रोकार्बन (टीएचसी/एचसी)	मिग्रा/किग्रा	
	गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन	मिग्रा/किग्रा	
	नाइट्रोजन आक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
5a.	हाइड्रोकार्बन + नाइट्रोजन आक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
5b.	टीएचसी + नाइट्रोजन आक्साइड	मिग्रा/किग्रा	
6.	कणिक पदार्थ का भार (पीएम)	मिग्रा/किग्रा	
7.	कणों की संख्या	सं./किमी	

(iii) ध्वनि स्तर:

- वाहन पर यथा-संस्थापित हॉर्न (कृषि ट्रैक्टरों और निर्माण उपस्कर वाहनों के अलावा सभी वाहनों के लिए): डीबी(ए);
- गुजरने वाले अथवा दर्शक की स्थिति:.....डीबी(ए);
- चालक की समझ अथवा प्रचालक का श्रवण स्तर (जैसा कृषि ट्रैक्टरों और निर्माण उपस्कर वाहनों के लिए लागू)डीबी(ए)

(ई-रिक्शा अथवा ई-कार्ट के मामले में, निर्माता या आयातक या पंजीकृत संस्था के अनुलिपि हस्ताक्षर का नमूना)

टिप्पण 1: यह प्रपत्र निर्माता या आयातक या पंजीकृत संस्था के हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाएगा, ई-रिक्शा अथवा ई-कार्ट के मामले में, प्रपत्र में विधिवत रूप से मुद्रित मुहर के नीचे स्याही में अनुलिपि हस्ताक्षर के साथ लागू”;

(59) कथित नियमों में, प्रपत्र 22बी में, निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -

**“प्रपत्र 22सी
[(नियम 47ए(1) देखें)]**

परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए अनुरोध और अनुमति
भाग I

(मोटर वाहन मालिक द्वारा जमा किए जाने वाला)

मैं एतद्वारा पंजीकरण प्राधिकारी से नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने मोटर वाहन में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट करने हेतु पूर्व-अनुमति के लिए अनुरोध करता हूँ:

क्र. सं. (1)	मद (2)	विवरण (3)
1.	मोटर वाहन का विवरण	
1.1	मोटर वाहन मेक और मॉडल	
1.2	पंजीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित वाहनों के मामले में) (वैकल्पिक)	
2.	प्रस्तावित परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट विवरण	
2.1	परिवर्तन की प्रकृति (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन / इंजन प्रतिस्थापन)	
2.2	संक्षिप्त विवरण	
3.	कंपनी / वर्कशाप का विवरण (नाम, पता, संपर्क विवरण, इत्यादि) जो परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट करेगा (वैकल्पिक)	

मैं इस बात को प्रस्तुत करता हूँ कि मैं सीएमवीआर, 1989 के तहत प्रावधानों के अनुसार अनुमत परिवर्तन / पुनर्निरीक्षण करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आवश्यक अनुपालन दस्तावेजों के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र में अनुमोदन के लिए मोटर वाहन प्रस्तुत किया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

(वाहन मालिक के हस्ताक्षर)

नाम: _____

मोबाइल नंबर _____

भाग II
(पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला)

पंजीकरण संख्या _____ वाला मोटर वाहन, इसके द्वारा सीएमवीआर, 1989 के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन करने और / या रेट्रोफिटमेंट की अनुमति नहीं है। रेट्रोफिटमेंट / परिवर्तन पूरा होने के बाद, पंजीकरण प्रमाण पत्र में सत्यापन और समर्थन के लिए मोटर वाहन का उत्पादन किया जाएगा।

2. अनुमति प्राप्त नहीं करने के मामले में इसके कारणों का उल्लेख करें

स्थान: -

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

नाम: _____

मोबाइल नंबर _____

प्रपत्र 22डी
[(नियम 47बी(1) देखें)]
परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट का अनुमोदन
भाग I

(मोटर वाहन मालिक द्वारा जमा किए जाने वाला)

मैं एतद्वारा पंजीकरण प्राधिकारी से नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने मोटर वाहन में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट करने हेतु पूर्व-अनुमति के लिए अनुरोध करता हूँ:

क्र. सं. (1)	मद (2)	विवरण (3)
1.	मोटर वाहन का विवरण	
1.1	मोटर वाहन मेक और मॉडल	
1.2	पंजीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित वाहनों के मामले में) (वैकल्पिक)	
2.	प्रस्तावित परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट विवरण	
2.1	परिवर्तन की प्रकृति (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन / इंजन प्रतिस्थापन)	
2.2	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य का संक्षिप्त विवरण	
3	लागू नियमों के साथ परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट का अनुपालन	
3.1	परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के अनुपालन का विवरण a. कंपनी के नाम और पते का विवरण (नाम, पता, संपर्क विवरण, इत्यादि) जिसने परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य किया है b. सीएमवीआर, 1989 के नियम 112 तहत लागू प्रपत्र (प्रपत्र सं. 22जी) में लागू अनुपालन विवरण (सीएमवीआर 1989 के नियम 112 के तहत अनुमत ओई निर्माता या उसके डीलर या अधिकृत कार्यशाला द्वारा किए गए मामले में लागू)	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित रूपांतरण सही है।

स्थान: -

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

नाम: _____

मोबाइल नंबर _____

भाग II
(पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा भरा जाने वाला)

विधिवत रूप से परिवर्तित / रेट्रोफिटेड पंजीकरण संख्या _____ वाला मोटर वाहन को सत्यापित कर दिया गया है और पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रविष्टि हेतु स्वीकृति के लिए अनुमोदित किया गया है।

स्थान: -

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

नाम: _____

मोबाइल नंबर _____

प्रपत्र 22ई
[(नियम 47बी(2) देखें)]
रूपांतरण के अनुमोदन के लिए अनुरोध
भाग I

(मोटर वाहन मालिक द्वारा जारी किए जाने वाला)

मैं एतद्वारा पंजीकरण प्राधिकारी से नीचे दिए विवरण के अनुसार अपने मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र में रूपांतरण के लिए अनुरोध करता हूँ:

क्र. सं. (1)	मद (2)	विवरण (3)
1.	मोटर वाहन का विवरण	
1.1	मोटर वाहन मेक और मॉडल	
1.2	पंजीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित वाहनों के मामले में) (वैकल्पिक)	
2.	रूपांतरण विवरण	
2.1	रूपांतरण का स्वरूप (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन / इंजन प्रतिस्थापन)	
2.2	संक्षिप्त विवरण	
23	प्रयोक्ता (दिव्यांगजन) का विवरण जिसके लिए वाहन रूपांतरित किया जाना है, यदि कोई हो	
3.1	रूपांतरित वाहन के भावी प्रयोक्ता का नाम	
3.2	रूपांतरित वाहन के भावी प्रयोक्ता का पता	
3.3	रूपांतरित वाहन के भावी प्रयोक्ता का मोबाइल नंबर	
3.4	भावी प्रयोक्ता का दिव्यांगता का विवरण	
4	लागू नियमों के साथ रूपांतर का अनुपालन	
4.1	रूपांतर के अनुपालन का विवरण (क) कंपनी के नाम और पते का विवरण (नाम, पता, संपर्क विवरण, इत्यादि) जिसने रूपांतर कार्य किया है (ख) सीएमवीआर, 1989 के नियम 112 तहत लागू प्रपत्र (प्रपत्र सं. 22एच) में लागू अनुपालन विवरण (सीएमवीआर 1989 के नियम 112 के तहत अनुमत ओई निर्माता या उसके डीलर या अधिकृत कार्यशाला द्वारा किए गए मामले में लागू)	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित रूपांतरण सही है।

स्थान: -

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

नाम: _____

मोबाइल नंबर _____

भाग II
(पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा भरा जाने वाला)

विधिवत रूप से रूपांतरित मोटर वाहन को सत्यापित किया गया है और पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रविष्टि के समर्थन के लिए स्वीकृति दे दी गई है, इस शर्त के साथ कि प्रयोक्ता (विकलांग व्यक्ति) ऐसे वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इस वाहन का उपयोग करेगा।

स्थान: -

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

नाम: _____

मोबाइल नंबर _____

प्रपत्र 22एफ
[(नियम 47बी(3), 112(3), 112(4), 126) देखें]
परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए अनुपालन रिपोर्ट

(कंपनी / कार्यशाला द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिसने या तो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट किया है, या मालिक के लिए वास्तविक रूप में किया है और मालिक पंजीकरण प्रमाण पत्र में समर्थन के लिए प्राधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा)

मैं एतद्वारा नीचे दिए विवरण के अनुसार किए गए रूपांतरण / रेट्रोफिटमेंट के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ:-

क्र. सं. (1)	मद (2)	विवरण (3)
1.	मोटर वाहन का विवरण	
1.1	मोटर वाहन मेक और मॉडल	
1.2	पंजीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित वाहनों के मामले में) (वैकल्पिक)	
1.5	मोटर वाहन मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर	
2.	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट विवरण	
2.1	परिवर्तन की प्रकृति (बॉडी संरचना / ईंधन स्रोत / चेसिस प्रतिस्थापन / इंजन प्रतिस्थापन)	
2.2	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य का संक्षिप्त विवरण	
2.3	सीएमवी नियमों से लागू नियमों में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए लागू नियम	
2.4	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए लागू नियमों के निर्दिष्ट मानक	
2.5	प्राधिकृत जांच एजेंसी द्वारा प्रारूप टाइप अनुमोदन में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट अथवा स्व-प्रमाणन रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो।	संलग्न किया जाना है
3.	उस फर्म का नाम, पता और संपर्क विवरण जिसने विषय परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य किया हो	

प्रमाणित किया जाता है कि परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य को इस तरह से किया गया है कि इसमें परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट से संबंधित नियमों के विशिष्ट प्रावधान का पालन किया गया है और इसमें मोटर वाहन के परिवर्तन में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

स्थान: _____

(परिवर्तन/रेट्रोफिटमेंट करने वाले फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

दिनांक: _____

व्यक्ति का नाम: _____

परिवर्तन/रेट्रोफिटमेंट करने वाली फर्म का नाम
मोबाइल नंबर-

प्रपत्र 22जी
[(नियम 47बी (3), 112ए(2), 126) देखें]

मोटर वाहन के रूपांतरण के लिए अनुपालन रिपोर्ट

(कंपनी / कार्यशाला द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिसने या तो पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मोटर वाहन पर रेट्रोफिटमेंट किया है, या मालिक के लिए वास्तविक रूप में किया है और मालिक पंजीकरण प्रमाण पत्र में समर्थन के लिए प्राधिकारी को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा)

क्र. सं. (1)	मद (2)	विवरण (3)
1.	मोटर वाहन का विवरण	
1.1	मोटर वाहन मेक और मॉडल	
1.2	पंजीकरण संख्या	
1.3	चेसिस नंबर (वैकल्पिक)	
1.4	इंजन नंबर / मोटर नंबर (बैट्री चालित वाहनों के मामले में) (वैकल्पिक)	
1.5	मोटर वाहन मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर	
2.	रूपांतरित वाहन में बदलाव के लिए मोटर वाहन में किए गए परिवर्तन का विवरण	
2.1	रूपांतरित वाहन में बदलाव के लिए परिवर्तन की प्रकृति (बाँडी संरचना, वाहन नियंत्रण)	
2.2	रूपांतरित वाहन में बदलाव के लिए मोटर वाहन में किए गए परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण	
2.3	सीएमवी नियमों से लागू नियमों में परिवर्तन के लिए लागू नियम	
2.4	किए गए परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के लिए लागू नियमों के निर्दिष्ट मानक	
2.5	प्राधिकृत जांच एजेंसी द्वारा प्रारूप टाइप अनुमोदन में परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट अथवा स्व-प्रमाणन रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो।	संलग्न किया जाना है
3.	उस फर्म का नाम, पता और संपर्क विवरण जिसने विषय परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य किया हो	

प्रमाणित किया जाता है कि परिवर्तन / रेट्रोफिटमेंट कार्य को इस तरह से किया गया है कि इसमें मोटर वाहन के रूपांतरण कार्य से संबंधित नियमों के विशिष्ट प्रावधान का अनुपालन किया गया है और इसमें मोटर वाहन के परिवर्तन में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

स्थान: _____

(रूपांतरित वाहन में बदलाव के लिए मोटर वाहन में परिवर्तन करने वाली फर्म का प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

दिनांक: _____

व्यक्ति का नाम: _____ ”

(60) कथित नियमों में, प्रपत्र 23ए के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः -

“प्रपत्र 23बी

[नियम 53बी(1) और (3) देखें]

अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र

अस्थायी पंजीकरण चिह्न	-----
आवेदन नंबर	-----
वाहन मालिक का नाम	-----
पुत्र/पत्नी/पुत्री	-----
पता	-----
मोबाइल नंबर	-----
वाहन का विवरण	-----
वाहन का वर्ग	-----
निर्माता का नाम	-----
निर्माता के मॉडल का नाम	-----
बॉडी का प्रकार	-----
बैठने की क्षमता	-----
रंग	-----
इंजन नंबर	-----
चेसिस नंबर	-----
स्थान, जहां वाहन स्थायी रूप से पंजीकृत होगा	-----
अस्थायी पंजीकरण लेने का कारण	बॉडी निर्माण के लिए / अन्य राज्य में आरटीओ
पर स्थायी पंजीकरण के लिए	

नोट: उपर उल्लिखित मोटर वाहन किराया-खरीद/पट्टे/उपप्राधीयन के पक्ष में

मोटर यान अधिनियम, 1088 की धारा 43 के प्रावधानों के अंतर्गत, उपर उल्लिखित मोटर वाहन -----
--- को अस्थायी रूप से पंजीकृत हो गया है और अस्थायी पंजीकरण की वैधता से तक है।

इस प्रमाणपत्र को बढ़ाया गया:

----- से ----- तक

दिनांक -----

----- से ----- तक

दिनांक -----

भुगतान की गई फीस का ब्यौरा: -----

भुगतान किए गए कर का ब्यौरा: -----

वाहन मालिक का नमूना हस्ताक्षर पंजीकरण प्राधिकारी का हस्ताक्षर”;

(61) कथित नियमों में, प्रपत्र 24 के लिए, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात: -

“प्रपत्र 24

मोटर वाहन का रजिस्टर / मोटर वाहन का राष्ट्रीय रजिस्टर

[नियम 49 और 75ए(1) तथा 75ए(4)]

मोटर वाहन के पंजीकरण का विवरण		मोटर वाहन के पंजीकरण / स्वामित्व के अंतरण / पते के परिवर्तन प्रमाणत्र पर पंजीकृत स्वामी का विवरण		किराया-खरीद/पट्टे/ करार का विवरण		उपप्राधीयन		पंजीकरण प्रमाणत्र पर सभी प्रकार के अनुमोदन से संबंधित प्रविष्टि		टिप्पणियां	
विवरण	ब्यौरे	पूरा नाम पुत्र/ पत्नी / पुत्री, वर्तमान पता / स्थायी पता / मोबाइल नंबर	नमूना हस्ताक्षर	वित्तपोषक के पूरा नाम और पता के साथ ऐसे करार के तहत अनुमोदन और निरस्तीकरण की पुष्टि	वित्तपोषक का नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	वित्तपोषक के पूरा नाम और पता के साथ ऐसे करार के तहत अनुमोदन और निरस्तीकरण की पुष्टि			डुप्लीकेट (पंजीकृत स्वामी / नया) के मुद्दे जैसे कि निलंबन / निरस्तीकरण; और प्रदान की गई छूट, अन्य राज्य में किए गए परिवर्तन को हटाए गए वाहन का एनओसी		
1	2	3	4	5	6	7			8		

1. पंजीकरण संख्या
2. पंजीकरण की तारीख
- 2ए. क्रय करने की तारीख
3. वाहन मालिक का नाम

पुत्र / पत्नी / पुत्री

पूरा पता
(स्थायी)
(अस्थायी)

मोबाइल नंबर

4. डीलर का नाम और पता
5. पूर्व पंजीकरण संख्या का विवरण, अर्थात्,
 - (क) पंजीकरण प्राधिकरण का नाम
 - (ख) दी गई पंजीकरण संख्या
6. मोटर वाहन है
 - (क) नया
 - (ख) भूतपूर्व सैनिक
 - (ग) आयातित
7. वाहन का वर्ग
8. निर्माता का नाम
9. बाँडी का प्रकार
10. निर्माण का महीना और वर्ष
11. सिलिंडरों की संख्या
12. चेसिस नंबर
13. बैट्री चालित वाहनों के मामले में इंजन नंबर या मोटर नंबर
14. इंजन में प्रयुक्त ईंधन
15. हॉर्स पावर
16. क्यूबिक क्षमता
17. निर्माता का वर्गीकरण
18. व्हील बेस (मिमी)
19. सबको शामिल करते हुए बैठने की क्षमता
- 19ए. खड़े होने की क्षमता

19बी. शयन क्षमता

20. रंग या बॉडी, विंग्स, अग्र भाग एंड का रंग

21. लदान रहित भार (किग्रा)

22. पंजीकृत सकल वाहन भार (किग्रा)

22ए. सकल संयुक्त भार, यदि लागू हो (किग्रा)

22बी. फ्लोर एरिया (वर्गमी)

22सी. बिक्री राशि

22डी. उत्सर्जन मानक

22ई. ऊँचाई (मिमी)

22एफ. लंबाई (मिमी)

22जी. चौड़ाई (किमी)

23. मोटर कैब को छोड़कर परिवहन वाहनों के मामले में अतिरिक्त विवरण

एक्सलों की संख्या

1. विवरण सं. और टायरों का आकार,

फ्रंट एक्सल,

रीयर एक्सल,

कोई अन्य एक्सल,

टैंडम एक्सल

2. पंजीकृत एक्सल भार

फ्रंट एक्सल _____ किग्रा

रीयर एक्सल _____ किग्रा

कोई अन्य एक्सल _____ किग्रा

टैंडम एक्सल _____ किग्रा

2ए. ओवरहैंग (मिमी)

2बी. रीयरहैंग (मिमी)

24. एक आर्टिकुलेटेड वाहन के रूप में पंजीकृत वैकल्पिक अथवा विशिष्ट ट्रेलर अथवा सेमी ट्रेलर का अतिरिक्त विवरण

1. बॉडी का प्रकार
2. लदान रहित भार (किग्रा)
3. प्रत्येक एक्सल पर टायरों की संख्या और विवरण तथा आकार
4. प्रत्येक वाहन के संबंध में पंजीकृत एक्सल भार (किग्रा)

25. बीमा प्रमाणपत्र/कवर नोट नंबर _____ दिनांक _____ वाहन से..... तक वैध _____ द्वारा जारी (बीमा कंपनी का नाम और पता)

25ए. क्या किराया-खरीद/पट्टे/उपप्राधीयन के अधीन है, यदि हां, तो वित्तपोषक का विवरण, इत्यादि

26. सभी मोटर वाहन करों और भुगतान किए गए शुल्क का विवरण

27. पंजीकरण की वैधता _____ से _____ तक

27ए. फिटनेस की वैधता _____ से _____ तक

(परिवहन / वाणिज्यिक वाहनों के लिए “फिटनेस के अनुसार” सुरक्षित रखा जाने वाला)

28. जांच निरीक्षक का नाम और पदनाम जिसने पंजीकरण के लिए वाहन को अनुकूल होने को प्रमाणित किया है। (पूर्णतः निर्मित बॉडी के अलावा वाहनों के मामले में)

29. पंजीकरण प्राधिकारी का नाम और पदनाम तथा हस्ताक्षर”;

(62) कथित नियमों में, प्रपत्र 25 में, शीर्षक में, शब्द “एक मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन का प्रपत्र”, के पश्चात शब्द “परिवहन वाहन के अलावा”, शब्द का विलोप किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/60/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, सयुक्त सचिव

नोट - मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नियम 590(अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक की अधिसूचना संख्या सा. का. नि.(अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2020

G.S.R. 336(E).— Whereas, the following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 27(q), 8(2), 8(6), 9(2), 11(2), 15(2), 15(4), 19(1A), 25A, 41(1), 41(3), 41(8), 41(10), 43, 44(1), 49(1A), 50(1), 62B, 63, 64(p) 211A of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R.184 (E), dated the 18th day of March, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Official Gazette containing the draft rules were made available to the public. However, due to outbreak of COVID-19 these draft rules are being published again for information of all persons likely to be affected thereby and notice

is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of Sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, Email: jspb-morth@gov.in.

The objections or suggestions received earlier against the GSR 184(E) dated 18th March 2020 would be considered and are not required to be sent again. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 2,
 - (a) For clause (i), the following shall be substituted, namely: -

“(i) Category L1 means a motor cycle without gear or a light two wheeled powered vehicle with maximum speed 70 kilometres per hour and engine capacity not exceeding 50cc if fitted with a thermic engine or motor power not exceeding 4.0 kilowatts if fitted with electric motor”;
 - (b) Clause (ia) shall be omitted;
 - (c) For clause (ib), the following shall be substituted, namely:-

“(ib) Category L2 means a motorcycle or a light two wheeled powered vehicle with engine capacity exceeding 50cc if fitted with a thermic engine or motor power exceeding 4.0 kilowatts if fitted with electric motor”;
 - (d) after clause (cc), the following clause shall be inserted, namely: -

“(cd) “Facilitation Centre” means any physical facility which may be notified by the Central Government or a State Government or both as the case may be, containing necessary resources and authorized persons to facilitate access to and use of Portals by any person, either for a charge or otherwise.”;
 - (e) in clause (e), after the words “appended to these rules”, the following shall be inserted, namely “including a corresponding electronic form made available on Portal”
 - (f) after clause (x), the following clause shall be inserted, namely: -

“(xa) “Portal” means a web and/or mobile based electronic system, notified, set up and maintained by the Central Government for carrying into effect all or any of the matters referred to under Section 211A, such as:

 - (i) facilitating licensing, registration, issuance of certificate of fitness and permits of motor vehicles;
 - (ii) recording of offences including compounding, impounding, making endorsements, suspension and revocation of licenses and registrations;
 - (iii) preserving, retaining and granting access to machine readable, printable, shareable, verifiable and secure electronic records;

(iv) for carrying out such other functions and for such purposes as may be notified by the Central Government or as prescribed by these rules.

Provided that the Central Government may notify different Portals for serving different functions.

Provided further that any reference to a Portal in any rule or notification shall be construed as a reference to the relevant notified Portal serving that function.”

3. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1): -

- (a) for the words “be accompanied by”, the word “include” shall be substituted.
- (b) for the words “in Form 1”, the words “appended to Form 2” shall be substituted.
- (c) after the words “medical certificate in Form 1A issued” and before the words “by a registered medical practitioner”, the following shall be inserted, namely: -

“electronically on the Portal”

- (d) the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that every application for renewal of a driving license to drive a vehicle other than a transport vehicle shall be accompanied by a medical certificate in Form 1A issued electronically on the Portal by a registered medical practitioner referred to in sub-section (3) of section 8, in case the applicant has attained the age of forty years.”.

4. In the said rules, in rule 5, sub-rule (2) shall be omitted.

(5) In the said rules, in rule 5, -

(i) in sub-rule (3): -

- (a) for the words “one year”, the words “six months” shall be substituted.
- (b) after the words “It shall be accompanied by a passport size copy of the photograph of the applicant”, the following shall be inserted, namely: -

“to be submitted electronically on the Portal.”

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4) Every medical certificate issued by a registered medical practitioner referred to in sub-section (3) of section 8 in Form 1A, shall only be issued electronically on the Portal.”

(6) In the said rules, rule 8 shall be omitted;

(7) In the said rules, for rule 8A, the following rule shall be substituted, namely: -

“8A. Minimum training required for driving E-rickshaw or E-cart. -Every applicant for obtaining a license to drive E-rickshaw or E-cart shall undergo training for a period of at least ten days and obtained a certificate of training from any institution authorized by the State Government.”;

(8) In the said rules, in rule 9: -

- (a) in the heading, for the words “Educational qualifications”, the words “Minimum training and language comprehension requirement” shall be substituted.
- (b) In sub-rule (2), the words “the minimum educational qualification or” shall be omitted.
- (c) In sub-rule (2), for the words “the licensing authority in whose jurisdiction”, the words “any licensing authority in the State in which” shall be substituted.

(9) In the said rules, in rule 10: -

- (a) after the words “shall be accompanied by”, the following shall be inserted, namely: -

“the following documents and fees, submitted electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre—”

(b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely-

“(a) a medical certificate in Form 1A in case of an application for learner’s license to drive a transport vehicle;”

(c) in clause (b), the words “three copies of” shall be omitted;

(d) in clause (e), after the words “proof of residence”, the words “and age” shall be inserted.

(e) clauses (f) and (g) shall be omitted.

(f) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(h) in case of an application for a learner’s license to drive an adapted vehicle, a medical certificate in Form 1A along with a certificate of disability, if any.”

(10) In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely: -

“**11. Conditions to be satisfied for learner’s license.** -(1) Within seven days of submitting an application under Rule 10, every applicant for a learner's licence shall complete a tutorial on safe driving, electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre.

(2) The tutorial on safe driving shall contain information on the following matters, namely: -

(a) the traffic signs, traffic signals and the rules of the road regulations made under section 118;

(b) the duties of a driver when his vehicle is involved in an accident resulting in the death or bodily injury to a person or damage to property of a third party;

(c) the precautions to be taken while passing an unmanned railway crossing;

(d) the documents he should carry with him while driving a motor vehicle;

(3) After undertaking the tutorial on safe driving, every applicant shall undertake a test within seven days of submitting an application under Rule 10, electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre consisting of questions of objective type as specified in Annexure VI, to test the applicant’s knowledge and understanding of the matters specified in sub-rule (2).

(4) applicant shall be deemed to have successfully passed the test specified under sub-rule (3), if the applicant correctly answers at least 60 per cent of the questions put to him.

(5) Nothing contained in sub-rule (1) and (3) shall apply to the following class of applicants, namely: -

(a) the holder of an effective driving licence,

(b) the holder of a driving licence which has expired,

(c) the holder of a learner's licence issued or reissued prior to the commencement of these Rules.

(d) the holder of a certificate to the effect of the possession of adequate knowledge and understanding of the matters referred to in rule 24, issued by any driving school or establishment referred to in Section 12.”

(11) In the said rules, in rule 13, the words “Every learner’s license issued by the licensing authority shall be in Form 3.”, shall be substituted by,

“(1) Subject to Section 8(4), Every learner's licence shall be issued electronically by the licensing authority in printable Form 3, immediately upon the successful satisfaction of the conditions prescribed under Rule 11.

(2) Pursuant to Section 8(6), learner's license may be issued in electronic form by the licensing authority after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government.”

(12) In the said rules, in rule 14, -

(i) in sub-rule (1): -

(a) In clause (c), the words “three copies of” shall be omitted.

(b) In clause (d), after the words, “a medical certificate in 1[Form 1A]” the following shall be inserted, namely: -

“in case of an application for license to drive a transport vehicle”

(c) In clause (e), before the words, “a driving certificate in Form 5” the following shall be inserted, namely: -

“in the case of an application for driving license to drive a transport vehicle,”

(d) In clause (e), the words “if any” shall be omitted.

(e) In clause (f), after the words “proof of residence”, the words “and age” shall be inserted.

(f) Clause (g) shall be omitted.

(ii) in sub-rule (2), -

(a) after the words “shall be made in Form 4A” and before the words “and shall be accompanied by”, the following shall be inserted, namely-

“electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise”;

(b) in clause (c), the words, “three copies of” shall be omitted.

(13) In the said rules, in rule 15, -

(i) in sub-rule (1), after the words “for a period of at least thirty days”, the words “, except in case of a test of competence required for renewal of driving license” shall be inserted.

(ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) No person shall appear for the test of competence to drive an adapted vehicle unless he brings a duly registered adapted vehicle for the driving test.”

(14) In the said rules, in rule 16, in sub-rule (4), after the words “issued by a licensing authority shall be” and before the words, “in Form 6-A”, the following shall be inserted, namely: -

“issued either electronically or otherwise”

(15) In the said rules, in rule 17, -

(i) in sub-rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: -

“(e) save as otherwise provided in rule 6, a medical certificate in 1[Form 1A] in case of an application for addition to license to drive a transport vehicle;”

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3) Pursuant to Section 11(2), the license with additions may be issued by the licensing authority after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the

provisions of the Information Technology Act, 2000 or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government.”

(16) In the said rules, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely: -

“17A. Permanently surrendering a class or classes of vehicles from the driving licence. -(1) Any person holding a driving license to drive one or more classes of motor vehicles, whether effective or expired, may apply, to any licensing authority in the State in which he resides or carries on business, for permanently surrendering a class or classes of vehicles from the driving license, in Form 8 along with the driving licence held by the applicant and appropriate fee as specified in Rule 32.

(2) Within seven days from the receipt of the application under sub-rule (1), the licensing authority shall delete the class or classes of motor vehicle from the applicant’s driving license, for which the application has been made.

(3) For the purposes of surrendering a class or classes of motor vehicles for which the license has expired, its renewal shall not be required.”

(17) In the said rules, in rule 18,

(i) in sub-rule (1),

(a) for the words, “the licensing authority having jurisdiction over the area” the words, “to any licensing authority in the State” shall be substituted.

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

“(d) in the case of an application for renewal of license to drive a transport vehicle the medical certificate in Form 1A or in the case of an application for renewal of license to drive a non-transport vehicle if the applicant has attained the age of forty years.”

(ii) in sub-rule (3), the first and second proviso shall be substituted by the following, namely: -

“Provided that recording of the renewal of driving license on the Portal for driving license or the Portal for National Register of Driving License shall be deemed to be sufficient intimation to the licensing authority who issued the driving license for the purpose of sub-rule (3).

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4)If the application for renewal of a driving license is made after the date of its expiry, the licensing authority shall not require an effective learner’s license to drive the vehicle of the type to which the application relates”;

(18) In the said rules, after rule 18, the following rule shall be inserted, namely: -

“18A. Issuance of duplicate driving licence. -In case of an application for issuance of a duplicate driving licence which has been lost, torn or mutilated such that the identification or authenticity of the document cannot be reasonably established, the licensing authority receiving such application shall, in case the driving license details are available on the Portal, issue the duplicate driving licence:

Provided that if the driving license details are not available on the Portal, the licensing authority receiving the application for issuance of a duplicate driving license shall issue the driving license on confirmation from the original licensing authority, electronically through the Portal:

Provided further that if such confirmation is not received within 60 days, from the original licensing authority, in case the driving license details are not available on the Portal, the duplicate licence shall be issued by the licensing authority receiving the application, without waiting for the confirmation”;

(19) In the said rules, in rule 21, clauses (9), (16) and (25) shall be omitted.

(20) In the said rules, after rule 21, the following rule shall be inserted, namely: -

“21A. Placing names in public domain. -(1) Subject to sub-rules (2) and (3), upon revocation of a driving licence by an order passed by the licensing authority under Section 19(1A),

- (i) if an appeal is made by any person aggrieved by the order against the order under Section 19(3) and the appeal is dismissed by the appellate authority or
 - (ii) if an appeal is not made by any person aggrieved within one month from the date of the order passed by the licensing authority then, such licensing authority may display the particulars of the holder of such licence on the Portal, in a separate section titled ‘Revocation of Driving License under Section 19(1A) of the Act’, in a machine readable electronic, printable, shareable form in portable document format (pdf), for access by the general public.
- (2) For the purposes of sub-rule (1), the following particulars about the holder of the revoked driving license shall be displayed on the Portal for six months:

- i. the name;
- ii. the driving licence number which has been revoked;”

(21) In the said rules, after rule 23, the following rules shall be inserted, namely: -

“23A. National Register of Driving Licenses. -(1) The Central Government shall notify and maintain a Portal for National Register of Driving Licenses, which shall be a repository of electronic records containing all particulars pertaining to licenses issued and renewed in each State in Form 10A.

(2) Data on such Portal shall be retained, stored and preserved in a machine readable electronic, printable, shareable form as may be notified by the Central Government.

(3) From the date of commencement of the Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2020, those states which have not transmitted all information including contained data in the State Register of Driving Licenses to the Central Government, shall electronically transmit all information including contained data in the State Register of Driving Licenses in Form 10A to the Central Government within six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020 for collating electronic records on the Portal for National Register of Driving Licenses. ;

23B. Access and Updation of the National Register of Driving Licenses by Licensing Authorities. -(1) The Portal for National Register of Driving Licenses shall be used by Licensing Authorities or such authorized officers designated by the State Government in each State to:

- (i) access electronic records available on the Portal for National Register of Driving Licenses;
 - (ii) electronically update any particulars pertaining to licenses, in real time, in accordance with the provisions of the Act and these rules;
 - (iii) create a new electronic record in real time, in respect of any driving license issued or renewed by the licensing authority.
- (2) The Portal for National Register of Driving Licenses shall, at all times, display the date and time of the creation of or last updation made to any electronic record contained in the Portal for National Register of Driving Licenses, by any licensing authority.
- (3) In order to access the Portal for National Register of Driving Licenses for the purposes of sub-rule (1), any licensing authority or such authorized officers designated by the State Government shall require valid login credentials.

(4) The Central Government may specify the manner of authentication of every electronic record created or updated by any licensing authority on the Portal for National Register of Driving Licenses.

23C. Duty of licensing authorities to Update National Register of Driving Licenses. -Every licensing authority or prescribed authority shall be responsible for:

- (i) electronically updating any change in particulars pertaining to licenses on the Portal for National Register of Driving Licenses immediately, in real time.
- (ii) creating a new electronic record in real time, in respect of any driving license issued or renewed by the licensing authority.

23D. Access to National Register of Driving Licenses. -Electronic records preserved and retained in the Portal for National Register of Driving Licenses may be accessed by such agencies or organizations as the Central Government may deem fit.”;

(22) In the said rules, in rule 27, in clause (a), after the words, “a register in Form 14” and before the words “and an alphabetical list”, the words “electronically on a Portal” shall be inserted.

(23) In the said rules, in rule 32, in the table,

(i) in serial no. 9: -

- (a) in the column purpose, for the words “the grace period”, the words “1 year from the date of expiry of driving license” shall be substituted.
- (b) in the column amount, for the words “reckoned from the date of expiry of the grace period shall be levied”, the words “shall be levied after one year from the date of expiry of driving license.”

(ii) in serial no. 13, for the column purpose, after the words “any application for” and before the words “change in address”, insert the following, namely: -

“permanent surrender of class or classes of motor vehicles from the driving license,”

(iii) after serial no. 13, the following serial no. 14 shall be inserted, namely: -

“14	Issue of duplicate license	Fees prescribed by the State Government	18(4)	28(2)(c)”
-----	----------------------------	---	-------	-----------

(24) In the said rules, in rule 34, in sub-rule (2), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely: -

“(b) adapted vehicle”

(25) In the said rules, in rule 41, after sub-clause (h), the following sub-clause shall be inserted, namely: -

“(i) for proceeding to or returning from the manufacturing plant, regional sales office, godown, work shop, authorised dealer or any place of sale.

(j) for the purpose of export till the place of embarkment”;

(26) In the said rules, in rule 43, -

(i) in sub-rule (1):

- (a) after the words “Every holder of a trade certificate shall maintain a register”, the word “electronically” shall be inserted.

(b) for the words “in duplicate which shall be in a bound book, with pages numbered serially”, the words “on the Portal for motor vehicles” shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2), for the word “duplicate”, the word “printed” shall be substituted.

(iii), in sub-rule (3), -

(a) after the words “The holder of a trade certificate shall, at the end of a trip,”, the word “electronically” shall be inserted.

(b) the words “(both original and duplicate), and the register and the duplicate shall be open for inspection by the registering authority.” shall be omitted.

(27) In the said rules, in rule 47, -

(i) (i) in sub-rule (1), for the words “(1) An application for registration of a motor vehicle shall be made in Form 20 to the registering authority within a period of seven days from the date of taking delivery of such vehicle, excluding the period of journey and shall be accompanied by—” shall be substituted by the following words, namely: -

“(1) An application for registration of a motor vehicle shall be made in Form 20 to any registering authority in the State in which the owner has the residence or place of business where the vehicle is normally kept:

(i) in case of motor vehicle, purchased as a fully built motor vehicle, which is being registered in a State other than the State in which the dealer is situated, shall be made by the owner, within a period of 1[seven days] from the date of taking delivery of such vehicle, excluding the period of journey or;

(ii) in case of a motor vehicle, purchased as a chassis to which body is fabricated separately, which is being registered in a State other than the State in which the dealer is situated, shall be made by the owner, after the body is fabricated separately or;

(iii) in case of motor vehicle, purchased as a fully built motor vehicle, which is being registered in the same State in which the dealer is situated, shall be made by the dealer, prior to the delivery of the vehicle or;

(iv) in case of a motor vehicle, purchased as a chassis to which body is fabricated separately, which is being registered in the same State in which the dealer is situated, shall be made by the dealer, after the body is fabricated separately;

Form 20 shall be accompanied by the following documents and fees, submitted electronically on a Portal for registration of motor vehicles”;

(ii) in sub-rule (1), after clause (ia), the following clause shall be inserted, namely: -

“(ib) proof of fitment of vehicle tracking device for public service vehicles;”

(iii) in sub-rule (1), clause (j) shall be omitted.

(iv) after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(1A) For the purposes of sub-rule (1), in case the application for the registration is made by the dealer under clauses (iii) or (iv) of sub-rule (1), the buyer of such vehicle shall submit the required documents specified under sub-clauses (b), (e) and (k) of sub-rule (1) to the dealer, electronically or otherwise, to facilitate the dealer in making the application under sub-rule (1).”

(vi) in sub-rule (2), “<https://www.vahan.nic.in/makermode/>” shall be omitted.

(vii) in sub-rule (5), “<https://www.vahan.nic.in/makermode/>” shall be omitted.

(28) In the said rules, after rule 47, the following rules shall be inserted, namely: -

“47A. Prior Approval for Alteration or Retrofitment under Section 52(1). -(1) Where the owner of a motor vehicle intends to alter or retrofit the motor vehicle in accordance with sub-rule (1) and (3) of rule 112, the owner shall seek the prior approval of the registering authority, either electronically through the Portal or in physical form, in Form 22C;

(2) The registering authority shall, within seven days from the date of receipt of Part I of Form 22C grant the prior approval in Part II of Form 22C, either electronically on the Portal or in physical form to the owner, if the proposed alteration is permissible under notified conditions, standards and specifications issued under sub-section (1) of section 52;

(3) In case the registering authority does not approve or reject the application for prior approval within seven days from the date of receipt of Form 22C, the prior approval shall be deemed to be granted;

47B. Endorsement of alteration or retrofitment.- (1) Where any motor vehicle is altered or retrofitted as per sub-rules (1) or (2) of rule 112, the owner of the vehicle shall make an application, within fourteen days from the date of issuance of certificate of compliance, for making an entry of alteration or retrofitment in the certificate of registration of the motor vehicle or for recording any change in the particulars contained in the certificate of registration as a result of any alteration or retro-fitment, to any registering authority in the State in which he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept or in which the alteration is made, in Form 22D electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise, which shall be accompanied by the certificate of registration and the appropriate fee as specified in Rule 81:

Provided that in case of an application for endorsement of alteration or retrofitment, for any alteration or retrofitment made as per sub-rule (2) of rule 112, pursuant to directions issued by the Central Government under sub-section (2) of section 52, no fees shall be payable under Rule 81:

Provided further that in case no application for prior approval is made under sub-rule (1) of rule 47A, the application for endorsement of alteration or retrofitment shall be made within fourteen days from the date of making of the alteration or retrofitment;

(2) Where any motor vehicle is altered to convert it into an adapted vehicle, as per rule 112A, the owner of the vehicle shall make an application for making an entry of the adapted vehicle in the certificate of registration, in the State in which he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept or in which the alteration is made, in Form 22E electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise, along with the certificate of registration;

(3) Upon receipt of an application under sub-rule (1) or (2), the registering authority shall, subject to receipt of certificate of compliance in Form 22F or Form 22G, make an entry of alteration or retrofitment or adapted vehicle in the certificate of registration, within seven days from the date of receipt of the application;

(4) A registering authority other than the original registering authority making any such endorsement under sub-rule (2) shall intimate the original registering authority about the endorsement:

Provided that recording of the entry of the alteration in the certificate of registration on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient communication to the original registering authority”;

(29) In the said rules, for rule 48, the following rule shall be substituted, namely:-

“48. Issue of certificate of registration for a fully built motor vehicle.- (1) On submission of an application by a dealer for registration of a fully built new motor vehicle in accordance with the second proviso of sub-section (1) of section 41 or, by the owner for registration of a fully built new motor vehicle if it is being registered in State other than the State in which the dealer is situated, and payment of fees and taxes in accordance with rule 47 on the Portal, for registration of a fully built motor vehicle, a registration mark shall be generated immediately;

(2) The dealer of the vehicle manufacturer shall affix the mark of registration as per Rule 50;

(3) A certificate of registration, in the name of the owner, in Form 23A shall be issued electronically;

(4) The effective date of registration of motor vehicle shall be the date of generation of the registration mark under sub-rule (1)”;

(30) In the said rules, after rule 48, the following rules shall be inserted, namely: -

“48A. Issue of certificate of registration for a motor vehicle whose body has been fabricated separately to the purchased chassis. - On submission of an application by the dealer or owner for registration of a motor vehicle whose body has been fabricated separately to the purchased chassis, and payment of fees and taxes in accordance with rule 47 on the Portal subject to the inspection of the motor vehicle by the registering authority and sub-section (1) of Section 62A, a registration mark shall be generated and a certificate of registration in Form 23A shall be issued electronically within two days from the date of receipt of the application;

(1) The dealer of the vehicle manufacturer shall affix the mark of registration as per Rule 50;

(2) The effective date of registration of motor vehicle shall be the date of generation of the registration mark under sub-rule (1);

Provided that where the certificate of registration pertains to a transport vehicle it shall be handed over to the registered owner only after recording the certificate of fitness in Form 38 within the period of seven days from the date of receipt of such an application.;

48B. Production of vehicle at the time of registration. - A motor vehicle sold by an authorised dealer shall not require production before a registering authority for the purposes of registration for the first time if it is a fully built motor vehicle.

Provided that an officer with minimum technical qualifications specified on serial number (ii) of S.O. 1215 (E) dated 08 March 2019 and not below the rank of motor vehicle inspector of the Motor Vehicles Department, may randomly inspect any vehicle in the inventory at the premises of the dealer.”

(31) In the said rules, for rule 49, the following rule shall be substituted, namely: -

“49. Registration records to be maintained by the registering authority.- Every registering authority shall electronically maintain in Form 24, a register of motor vehicles registered by it under section 41 and of motor vehicles of other States for which new registration marks are assigned by it under sub-section (2) of section 47 and shall also enter in such record under the respective registration numbers, of motor vehicles temporarily registered by it under Section 43 and shall also enter the temporary registration mark, all changes made with reference to the provisions of sub-section (10) or sub-section (14) of section 41, sub-section (5) of section 49, sub-section (6) of section 50, subsections (1), (2), (3) and (5) of section 51, (1), (1A), (2) and (4) of section 52, orders of suspension under section 53 and order of cancellation under sections 54 and 55.”;

(32) In rule 52, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) For the words “the registering authority in whose jurisdiction”, the words “any registering authority in the State in which” shall be substituted.

(ii) in sub-rule (2), -

(a) after the words “renew the certificate of registration”, the words “, for a period of five years” shall be inserted.

(b) after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided further that in case where the certificate of fitness is granted on a date before the expiry of a certificate of registration, the renewal shall be effective from the date of expiry of certificate of registration for a period of five years:

Provided also that recording of the renewal of the certificate of registration on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of Section 41(10)”;

(iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4) In case of transport vehicles, the validity of certificate of registration shall be co-terminus with the validity of certificate of fitness.”;

(33) In the said rules, in rule 53, in sub-rule (2), for the words “the last registering authority”, the words “any registering authority in the State in which the vehicle was last registered” shall be substituted.

(34) In the said rules, after rule 53, the following rules shall be inserted, namely: -

“53A. Application for temporary registration.- An application for temporary registration in case the motor vehicle is being registered in a state other than the state in which the dealer is situated or in case of a purchased chassis on which the body has to be fabricated separately, shall be made electronically on the Portal by the owner to any registering authority or other authority as may be prescribed by the State Government in Form 20, and shall be accompanied by the documents required to be submitted along with an application for registration of motor vehicles as per sub-rule (1) of Rule 47 along with the appropriate fee as specified in rule 81;

53B- Issue of temporary certificate of registration. - (1) The temporary registration certificate shall be generated electronically in Form 23B immediately on receipt of application for temporary registration along with requisite fees;

(2) Any temporary registration granted under sub-rule (1) shall be valid for an initial period of six months from the date of its issue:

Provided that where the motor vehicle registered under sub-rule (1), is a chassis to which a body has not been attached and the same is detained in a workshop beyond the said period of six months for being fitted with a body or due to any unforeseen circumstances beyond the control of the owner, the registering authority may, on submission of application in Form 20B and payment of appropriate fee as specified in rule 81 by the owner, extend the initial period of validity one or more times by 30 days each, as the registering authority may deem fit;

(3) Upon granting an extension of the initial period of validity of certificate of temporary registration by any further period or periods under sub-rule (2), the registering authority shall make an appropriate entry in Form 23B;

53C- Assignment of temporary registration marks. - (1) The authority granting a temporary certificate of registration shall assign a temporary registration mark to the vehicle, for example: -

T- Represent temporary certificate

08- Month of issuance of temporary certificate of registration

20- Year of issuance of temporary certificate of registration

AB- Represent State Code

1234- Serial Number of Temporary Registration

AB- Alphabet of Temporary Registration (Except O and I)

(2) The owner shall ensure that the said mark is affixed to the front and rear of the motor vehicle.”;

(35) In the said rules, in rule 55, -

(i) in sub-rule (1), for the words “transferor and the transferee reside or have their place of business”, the words “transfer is effected” shall be substituted.

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4) Recording of the transfer of ownership of any motor vehicle on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of Section 50(7).”;

(36) In the said rules, for rule 59, the following rule shall be substituted, namely: -

“**59. Change in residence.** – (1) An application for recording a change in the residence in the certificate of registration of a motor vehicle shall be made by the owner of the vehicle in Form 33, accompanied by the certificate of registration and proof of address in the manner specified in the rule 4 and the appropriate fee as specified in rule 81, submitted electronically on a Portal, either accessed by the applicant himself or with the help of a Facilitation Centre, or otherwise;

(2) Pursuant to Section 49(1A), the application submitted in sub-rule (1) may be authenticated after verifying the identity of the applicant through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government;

(3) Recording of the entry of the altered address in the certificate of registration, on the Portal for motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient communication to the original registering authority for the purpose of Section 49(6).”;

(37) In the said rules, for rule 60, the following rule shall be substituted, namely: -

“**60. Endorsement of hire-purchase agreements, etc.**- (1) An application for making an entry of hire-purchase, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration of a motor vehicle required under sub-section (2) of section 51 shall be made in Form 34 duly signed by the registered owner of the vehicle and the financier and shall be accompanied by the certificate of registration and the appropriate fee as specified in rule 81;

(2) The recording of endorsement of hire purchase agreement, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration on the Portal for registration of motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of Section 51(12).”;

(38) In the said rules, in rule 61, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(4) The recording of termination of hire purchase agreement, lease or hypothecation agreement in the certificate of registration on the Portal for registration of motor vehicles or the Portal for National Register of Motor Vehicles shall be deemed to be sufficient intimation to the original registering authority for the purpose of Section 51(12).”;

(39) In the said rules, in rule 62, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(4) The application for renewal of certificate of fitness may be made not more than sixty days before the date of expiry of the certificate of fitness;

(5) Where the renewal of certificate of fitness is granted on a date after the expiry of the certificate of fitness, the renewal shall be effective from the date of grant of the certificate of fitness:

Provided that where the renewal of certificate of fitness is granted on a date before the expiry of a certificate of fitness, the renewal shall be effective from the date of expiry of certificate of fitness.”;

(40) In the said rules, after rule 75, the following rules shall be inserted, namely: -

“**75A. National Register of Motor Vehicles.** - (1) The Central Government shall notify and maintain a Portal for National Register of Motor Vehicles, which shall be a repository of electronic records containing all particulars pertaining of motor vehicles registered in each State in Form 24;

(2) Data on such Portal shall be retained, stored and preserved in a machine readable electronic, printable, shareable form as may be notified by the Central Government;

(3) From the date of commencement of the Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020, those states which have not transmitted all information including contained data in the State Register of Motor Vehicles to the Central Government, shall electronically transmit all information including contained data in the State Register of Driving Licenses in Form 24 to the Central Government within six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020 for collating electronic records on the Portal for National Register of Motor Vehicles;

75B. Access and Updation of the National Register of Motor Vehicles by Registering Authorities. –

(1) The Portal for National Register of Motor Vehicles shall be used by Registering Authorities or such authorized officers designated by the State Government in each State to:

- (i) access electronic records available on the Portal for National Register of Motor Vehicles;
- (ii) electronically update any particulars pertaining to motor vehicles, in real time, in accordance with the provisions of the Act and these rules;
- (iii) create a new electronic record in real time, in respect of any motor vehicle registered by the registering authority.;

(2) The Portal for National Register of Motor Vehicles shall, at all times, display the date and time of the creation of or last updation made to any electronic record contained in the Portal for National Register of Motor Vehicles, by any registering authority;

(3) In order to access the Portal for National Register of Motor Vehicles for the purposes of sub-rule (1), any registering authority or such authorized officers designated by the State Government shall require valid login credentials;

(4) The Central Government may specify the manner of authentication of every electronic record created or updated by any registering authority on the Portal for National Register of Motor Vehicles.;

75C. Duty of registering authorities to Update National Register of Motor Vehicles. Every registering authority or prescribed authority shall be responsible for:

- (i) electronically updating any change in particulars pertaining to registration of motor vehicles on the Portal for National Register of Motor vehicles immediately, in real time.
- (ii) creating a new electronic record in real time, in respect of any motor vehicle registered by the licensing authority.

75D- Access to National Register of Motor Vehicles. - Electronic records preserved and retained in the Portal for National Register of Motor Vehicles may be accessed by such agencies or organizations as the Central Government may deem fit.”;

(41) In the said rules, in rule 81, in the table,

(i) after serial no. 4 and before serial no. 5, the following shall be inserted, namely: -

4A	Issue or extension of temporary certificate of registration	Half of the fee mentioned against Serial No. 4	53A	
----	---	--	-----	--

(ii) in serial no. 8, in column number (2), after the words “Recording alteration in the certificate of registration”, the words “, except for alteration made under Sections 52(1A) and 52(2)” shall be inserted”;

(42) In the said rules, for rule 112, the following rule shall be substituted, namely: -

“112. Alterations to motor vehicle. -(1) Any alteration or retrofitment to a motor vehicle under sub-section (1) of Section 52 of the Act including but not limited to change in fuel, conversion of propulsion

system, replacement of engine, replacement of chassis or modification in body structure, shall be in compliance with the conditions, standards and specifications notified by the Central Government, and shall be carried out by either,-

- (i) original equipment manufacturer or
- (ii) dealer of the vehicle manufacturer or
- (iii) workshop authorized by the State Government or
- (iv) service station authorized by the State Government:

Provided that for alterations to chassis, any alteration involving replacement of chassis may be permitted provided the new chassis is supplied by the same manufacturer, is of the same type and the conversion of chassis meant for one type of motor vehicle shall not be permitted for another type of motor vehicle;

(2) Any alteration or retrofitment of safety equipment or any other equipment pursuant to any direction issued by the Central Government under sub-section (1A) of section 52 of the Act shall be in compliance with the standards and specifications notified by the Central Government under the appropriate rule, and shall be carried out by either-

- (i) original equipment manufacturer or
- (ii) dealer of the vehicle manufacturer or
- (iii) workshop authorized by the State Government or
- (iv) service station authorized by the State Government;

(3) The compliance of any alteration or retrofitment to a motor vehicle made under sub-rule (1), shall be tested and validated by testing agencies notified under Rule 126 or self-certified by either the original equipment manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer or workshop authorized by the State Government or service station authorized by the State Government, making the alteration under sub-rule (1), which shall issue a certificate of compliance in Form 22F, either electronically on the Portal or in physical form to the owner;

(4) The compliance of any alteration or retrofitment of safety equipment or other any other equipment made under sub-rule (2), shall type approved by testing agencies notified under Rule 126 in accordance with the relevant rule and the compliance of such alteration or retrofitment shall be self-certified by either the original equipment manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer or workshop authorized by the State Government or service station authorized by the State Government, making the alteration under sub-rule (1), which shall issue a certificate of compliance in Form 22F, either electronically on the Portal or in physical form to the owner.”

(43) In the said rules, after rule 112, the following rules shall be inserted, namely: -

“112A. Alteration to Motor Vehicle for conversion into Adapted Vehicle. -(1) Any alteration to a motor vehicle under sub-section (2) of Section 52 of the Act, to convert it to an Adapted Vehicle shall be in compliance with the conditions notified by the Central Government under this rule or any other applicable rule, and shall be carried out by either-

- (i) original equipment manufacturer or
- (ii) dealer of the vehicle manufacturer or
- (iii) workshop authorized by the State Government or
- (iv) service station authorized by the State Government;

(2) Either the original equipment manufacturer or dealer of the vehicle manufacturer or workshop authorized by the State Government or service station authorized by the State Government, making the alteration under sub-rule (1), shall issue a certificate of compliance in Form 22G, either electronically on the Portal or in physical form to the owner.”;

(44) In the said rules, rule 113 shall be omitted.

(45) In the said rules, for rule 114, the following rule shall be substituted, namely: -

“**114. Exhaust gases, exhaust pipes.** - (1) Every motor vehicle shall be so constructed or equipped that the exhaust gases from the engine are discharged neither downward nor to the left side of the vehicle and shall be so fitted as to allow the gases to escape to the right side or rear of the vehicle:

Provided that in the case of tankers carrying explosives and inflammable goods, the fitment of exhaust pipe shall be according to the specification of the Inspector of Explosives:

Provided further that, in the vehicles where the exhaust gases are discharged to the right of the vehicle, slight downward angle shall be permitted, provided the exhaust gases do not kick up any dust when the vehicle is stationary and engine running and in any case the angle of the pipe to the horizontal should not be more than 30 degrees:

Provided also that where the exhaust gases are discharged to the left of the vehicle the inclination of exhaust pipe should not cross 30 degrees in downward and 30 degrees in left direction against the vertical plane which includes the vehicle centre line, provided the exhaust gases do not take up any dust when the vehicle is stationary and engine running:

Provided further that in the case of agricultural tractors, vertical or horizontal] exhaust pipe may be provided and outlet of this pipe should be so directed that the driver of the tractor is not exposed to exhaust gases by locating the outlet over or to the side of head-level of the driver as per Indian Standards 1[IS 12239 (Part 1):1996]:

Provided also that in the case of construction equipment vehicle vertical exhaust pipe may be fitted and outlet of this pipe shall be so directed that the driver of the vehicle is not exposed to exhaust gases;

(2) On and from the date of commencement of this sub-rule, no exhaust pipe of a motor vehicle including construction equipment vehicle and combine harvester shall be located within a distance of 35 millimetres from the fuel line connecting to the fuel tank and engine;

(3) The exhaust pipe of every public service vehicle shall be so fitted or shielded that no inflammable material is thrown upon it from any other part of the vehicle and that it is not likely to cause a fire through proximity to any inflammable material on the vehicle.”;

(46) In the said rules, after rule 144, the following rule shall be inserted, namely:-

“**144A. Recording of adapted vehicle.** -When an insured motor vehicle is altered into an adapted vehicle under Section 52(2), the owner shall, within fourteen days from the date on which the endorsement of the adapted vehicle is made by the registering authority in the certificate of registration under Rule 47B, intimate to the authorized insurer who has insured the vehicle the particulars of the adaptations made accompanied by the endorsed certificate of registration, so that the authorized insurer may make necessary changes in his record.”;

(47) After Chapter VIII, the following chapter shall be inserted, namely: -

“**Chapter IX- Miscellaneous—**

169. Notification of Portals by the Central Government. -(1) The Central Government shall set up and maintain Portals for bringing into effect Section 211A and the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2019, within three months from the date of commencement of Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020;

(2) Notwithstanding the generality of sub-rule (1), the Central Government shall set up and maintain Portals for carrying into effect each of the functions specified in Rule 2(xa).;

170. Discontinuation of Portals maintained by any State Government. -(1) Any web and/or mobile based electronic system set up and maintained by a State Government for carrying into

effect all or any of the matters referred to under Section 211A, including any of the functions specified in Rule 2(xa), existing prior to date of commencement of the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2020, shall be discontinued within six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020 and the Portal notified by the Central Government shall be made available in that State:

Provided that a State Government may redirect users to any Portal maintained by the Central Government;

171. Notification of Portals. -(1) For any Portal set up and maintained by the Central Government under Rule 17, the Central Government may specify:

- (i) the functions of the Portal;
- (ii) the users authorized to access the Portal;
- (iii) the method in which users can gain access to the Portal;
- (iv) the extent of access allowed to each of the users;
- (v) the manner and format in which the Forms and documents shall be filed, created or issued, including the manner of affixing signature to Forms;

172. Method of Payment. -(1) Any fee or charges for filing, creation or issue of any form or electronic document or any receipt or payment of money on a Portal including receipt of fees under Rule 32 and Rule 81 and receipt of amount for compounding of offences under Section 200, in pursuance of the Act or these rules, shall be paid by means of credit card, debit card, internet banking or any other mode as approved by the Central Government;

173. Authentication of Documents. - (1) All forms, applications and documents filed through a Portal may be authenticated through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Central Government such as verification by an authorized person facilitating the submission of any form, application or document at a Facilitation Centre;

(2) All licenses, registrations, fitness certificate, permits, sanctions, approvals and endorsements and any other document as may be prescribed by the Central Government or State Government or both, as the case may be, shall be created, issued or granted electronically, through digital signature certificate or through e- signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or any other mode of signature or verification as notified by the Central Government;

174. Setting up and Maintenance of a Portal. - For the purposes of this Chapter, the Central Government shall have the power to delegate the function of setting up and maintaining any Portal, to a body corporate or an agency.”;

(48) In the said rules, Form 1 shall be omitted.

(49) In the said rules, in Form 1A: -

- (a) after serial no 1, namely “Name of the applicant”, the following shall be inserted, namely: -
 - “1A. Son/ wife/ daughter of
 - 1B. Permanent Address
 - 1C. Date of Birth”
- (b) after serial no 3(g)(b), the following words “Declaration made by the applicant in Form I as to his physical fitness is attached” shall be omitted.
- (c) In the “Certificate of Medical Fitness”, after the words “And, therefore, I certify that, to the best of my judgment, he is medically fit/not fit to hold a driving license” the words “to drive a vehicle other than an adapted vehicle” shall be inserted.;

(50) In the said rules, in Form 2, -

1. in the table after serial no 1 “Class of Vehicles (COV): Applicable for NewLearner’s License or New Driving License”-
 - (a) the words namely “as Non Transport Vehicle (LMV NTV)” shall be omitted;
 - (b) for the words, “Invalid Carriage”, the words, “Adapted Vehicle” shall be substituted;
 - (c) the words “Light Motor Vehicle as Transport Vehicle” shall be omitted;
2. in the table after serial no 2 “Personal Details of the Applicant (in Capital Letters)”, after the row,

First Name	Middle Name	Last Name
------------	-------------	-----------

the following shall be inserted,

Son/wife/daughter of	
Date of birth	
Identification mark	

3. before the words, “Declaration Under sub-section (2) of section 7 of the Motor Vehicles Act, 1988.....”, the following shall be inserted, namely: -

“Self Declaration as to Physical Fitness

- (a) Do you suffer from epilepsy or from sudden attacks of loss of consciousness or giddiness from any cause? Yes/No
- (b) Are you able to distinguish with each eye (or if you have held a driving licence to drive a motor vehicle for a period of not less than five years and if you have lost the sight of one eye after the said period of five years and if the application is for driving a light motor vehicle other than a transport vehicle fitted with an outside mirror on the steering wheel side) or with one eye, at a distance of 25 metres in good day light (with glasses, if worn) a motor car number plate? Yes/ No
- (c) Have you lost either hand or foot or are you suffering from any defect of muscular power of either arm or leg? Yes/No
- (d) Can you readily distinguish the pigmentary colours, red and green? Yes/No
- (e) Do you suffer from night blindness? Yes/No
- (f) Are you so deaf so as to be unable to hear (and if the application is for driving a light motor vehicle, with or without hearing aid) the ordinary sound signal? Yes/No
- (g) Do you suffer from any other disease or disability likely to cause your driving of a motor vehicle to be a source of danger to the public, if so, give details Yes/ No

I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the particulars given above and the declaration made therein are true.

(Signature or thumb expression of the applicant)

Note: (1) An applicant who answers "Yes" to any of the questions (a), (c), (e), (f) and (g) or "No" to either of the questions (b) and (s) should amplify his answers with full particulars, and may be required to give further information relating thereto.”;

(51), In the said rules, in Form 3, the words “in specified areas or routes,” shall be omitted,

(52) In the said rules, after Form 7, the following form shall be inserted, namely: -

“FORM 8

[Refer Rule 17A]

**FORM OF APPLICATION FOR PERMANENT SURRENDER OF CLASS OR CLASSES OF
VEHICLES FROM DRIVING LICENSE**

To

The Licensing Authority

.....

Space for Passport Size Photograph

I hereby apply for permanent surrender of the following class or classes of vehicles from my driving license, as applicable:

- (a) Motor cycle without gear
- (b) Motor cycle with gear
- (c) Adapted Vehicle
- (d) Light Motor Vehicle
- (e) Transport Vehicle

Others, which is not covered in any of the above categories

Name of the applicant: _____

Address: _____

Date of Birth: _____

Driving License Number: _____

Date:

Signature or thumb impression of Applicant.”;

(53) In the said rules, after Form 10, the following form shall be inserted, namely: -

“FORM 10A

[Refer Rules 23A(1) and (4)]

FORM OF NATIONAL REGISTER OF DRIVING LICENSES

1. (a) Driving Licence Number and date of initial issue
 - (b) Licensing authority which issued the licence
 - (c) Name & designation of the officer who has taken the driving test and the date of passing the test by the holder of the licence.
2. Name, address, mobile number and other particulars of the holder of the driving licence:
 - (a) Name of the holder (with guardian's name, if minor)
 - (b) Date of Birth
 - (c) Educational Qualifications
 - (d) Permanent Address
 - (e) Temporary address/official address (if any)
 - (f) Subsequent change of address
 - (g) Class and types of vehicles for which the licence is given
 - (h) Addition of vehicles (if any) with dates
 - (j) Date of expiry of the licence and further renewal (with details of the licencing authority which renewed the licence)
 - (k) Details of DL Blocking/Suspension/Revoking, disqualifications, fine, cancellation, etc, in relation to the holder of the driving licence.
 - (l) Mobile Number
3. Photo & Signature of the Driving License Holder.”;

(54) In the said rules, in Form 19, for the table, after the words, “Hours of return to premises” and before the words “by the vehicle”, the words “or reaching destination” shall be inserted.

(55) In the said rules, in Form 20: -

1. in the heading, after the words, “APPLICATION FOR REGISTRATION” and before the words, “OF A MOTOR VEHICLE”, the words, “OR TEMPORARY REGISTRATION” shall be inserted;
2. In the heading after the words and figure, namely, “(Refer Rule 47”, the words and figure, “and Rule 53A” shall be inserted;
3. after the words, “Signature or thumb impression of the”, for the words “the person to be registered as registered owner”, the words, “dealer along with the specimen signature of the owner” shall be substituted;
4. after the words, “CERTIFICATE OF INSPECTION OF MOTOR VEHICLE”, the words, “WHOSE BODY HAS BEEN FABRICATED SEPARATELY TO THE PURCHASED CHASSIS” shall be inserted;

(56) In the said rules, after Form 20, the following form shall be inserted, namely. -

“FORM 20B

[Refer Rule 53B(2)]

APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF TEMPORARY REGISTRATION

Temporary Registration Mark -----

Owner Name -----

Date of grant of Temporary Registration -----

Initial Period of validity of Temporary Registration as per Form 23B from ----- to -----

Periods of Extension sought:

from ----- to-----

from ----- to-----

Reason for extension: **For being fitted with a body / due to any unforeseen circumstances beyond the control of the owner**

Fee Paid Details: -----

Date -----

Signature of the owner.”;

(57) In the said rules, in Form 21, for the words, (a) for the words, “Certified that.....(brand name of the vehicle) has been delivered by us.....the vehicle is held under agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with...”, the following shall be substituted,

“Part I- In case of application for registration of fully built motor vehicle made by owner

Certified that.....(brand name of the vehicle) has been delivered by us to.....on.....(date)

Part II- In case of application for registration of fully built motor vehicle made by dealer

Certified that.....(brand name of the vehicle) has been agreed to be sold by us to.....on.....(dated) and the vehicle will be delivered by us to.....only after the registration mark assigned by the registering authority under Section 41(6) is displayed on the motor vehicle as per proviso to Section 41(6).

Part III- In case of purchase of chassis

Certified that.....(chassis) has been temporarily delivered by us on.....(date) to.....”

Part IV- Applicable in case of Part I, Part II and Part III.

Name of the buyer

Mobile Number.....

Son/wife/daughter of

Address (permanent)

(temporary)

The vehicle is held under agreement of hire-purchase/lease/hypothecation with.....”;

(58) In the said rules, for Form 22, the following Form shall be substituted, namely: -

“Form 22

[See rules 47 (1)(g), 115, 116, 119, 120, 124 and 126]

ROAD WORTHINESS CERTIFICATE OF COMPLIANCE

(To be issued by the manufacturer or Importer or registered association in case of E-rickshaw or E-cart, along with the vehicle)

It is certified that the following vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder:

1. Model/Name of the vehicle.
2. Chassis number (Vehicle Identification Number (VIN) or TIN or PIN)
3. (a) Engine number:
(b) Motor number (In case of battery operated vehicles, hybrid):
4. Applicable Emission norms:
[Bharat Stage-IV / VI / Bharat (Trem) Stage-III/ IIIA, etc.]
5. The emission, sound level for horn and pass by noise values of the above vehicle model, obtained during Type Approval as per Central Motor Vehicle Rules, 1989 are given below:
 - i. Model Type Approval Certificate Number:
 - ii. Emission values for vehicles
 - (a) Fitted with Positive Ignition Engine

Sr. No.	Pollutant (as applicable)	Units	Value
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Carbon Monoxide	mg/km	
2.	Hydrocarbon, (THC/HC)	mg/km	
3.	Non-Methane Hydrocarbon	mg/km	
4.	NOx	mg/km	
	HC + NOx	mg/km	
5b.	THC + NOx	mg/km	
6.	Mass of Particulate Matter (PM)	mg/km	
7.	Number of particles	Numbers/km	

(b) Fitted with Compression Ignition Engine

Sr. No.	Pollutant (as applicable)	Units	Value
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Carbon Monoxide	mg/km	
2.	Hydrocarbon, (THC/HC)	mg/km	
3.	Non-Methane Hydrocarbon	mg/km	
4.	NOx	mg/km	
5a.	HC + NOx	mg/km	
5b.	THC + NOx	mg/km	
6.	Mass of Particulate Matter (PM)	mg/km	
7.	Number of particles	Numbers/km	

(iii) Noise level:

- a) Horn (for all vehicles other than agricultural tractors and construction equipment vehicles) as installed on the vehicle: dB(A);
- b) Pass by or Bystander's position:.....dB(A);
- c) Driver-perceived or Operator's ear level (as applicable for agricultural tractors and construction equipment vehicles).....dB(A)

(Facsimile Signature of manufacturer or importer or registered association, in case of Erickshaw or E-cart)

Note 1: This Form shall be issued with the signature of the manufacturer or importer or registered association, in case of E-rickshaw or E-cart duly printed in the Form itself by affixing facsimile signature in ink under the and seal applicable.”;

(59) In the said rules, after Form 22B, the following forms shall be inserted, namely:-

“FORM 22C

[(See rules 47A(1)]

REQUEST AND PERMISSION FOR ALTERATION / RETROFITMENT

Part I

(To be submitted by the Motor Vehicle Owner)

I hereby request the Registering Authority to accord prior permission to undertake alteration/ retrofitment in my Motor Vehicle as per details mentioned below:

Sr. No. (1)	Item (2)	Details (3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
2.	Proposed Alteration/Retrofitment Details	
2.1	Nature of Alteration (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	
2.2	Brief Details	
3.	Details of the Company/ Workshop (Name, Address, Contact details etc) who will be engaged to carry out Alteration/retrofitment (optional)	

I hereby submit that I shall carry out the permitted alteration/ retrofitment as per the provisions under CMVR 1989 and shall ensure that motor vehicle so altered shall be submitted for endorsement in the registration certificate along with necessary compliance documents.

Place:

Date:

(Signature of the Owner)

Name: _____

Mobile Number _____

Part II*(To be issued by the Registering Authority)*

Motor Vehicle, bearing Registration Number _____, is hereby permitted/not permitted to alter and /or retrofit as per provisions of CMVR 1989. After the retrofit/alteration is completed, the motor vehicle shall be produced for verification and endorsement in the Registration Certificate.

2. In case permission is not accorded reasons to be cited.....

Place: - _____

Date :- _____

(Signature of the authorized parson)

Name: _____

Mobile Number _____

FORM 22D

[(See rules 47B(1)]

ENDORSEMENT OF ALTERATION/ RETROFITMENT**Part I***(To be Issued by the Motor Vehicle Owner)*

I hereby request the Registering Authority to endorse the alteration/ retrofit carried out in my vehicle in the Certificate of Registration of my Motor Vehicle as per the details mentioned below:

Sr. No.	Item	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
2.	Alteration/ Retrofitment Details	
2.1	Nature of Alteration/ Retrofitment (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	
2.2	Brief Details of alteration/ retrofitment work carried out	
3	Compliance of Alteration/ Retrofitment with the Applicable Rules.	
3.1	Compliance Details of Alteration/ retrofitment a. Number and address details (Name, address and Contact Details) of the Company who has carried out Alteration/ retrofitment b. Compliance details in the formats (Form no. 22G) provided under rule 112 of CMVR 1989 as applicable. <i>(Applicable in case carried out by the OE manufacturer or his dealer or Authorized Workshop as allowed under Rue 112 of the CMVR 1989)</i>	

This is to certify that the adaptation mentioned above is correct.

Place: _____

Date: _____

(Signature of the Owner)

Name: _____

Mobile number _____

Part II

(To be filled Registering Authority)

The Motor Vehicle, bearing Registration Number....., duly Altered/ retrofitted, has been verified and cleared for endorsement entry in to Registration Certificate.

Place:- _____

Date :- _____

(Signature of the authorized person)

Name: _____

FORM 22E

[(See rules 47B(2)]

REQUEST FOR ENDORSEMENT OF ADAPTATION

Part I

(To be Issued by the Motor Vehicle Owner)

I hereby request the Registering Authority to endorse the adaptation carried out in my vehicle in the Certificate of Registration of my Motor Vehicle as per the details mentioned below:

Sr. No.	Item	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
2.	Adaptation Details	
2.1	Nature of Adaptation (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	
2.2	Brief Details	
23	Details of the user (person with disability) for vehicle being adapted, if any.	
3.1	Name of the prospective user of the adapted vehicle	
3.2	Address of the prospective user of the adapted vehicle	
3.3	Mobile Number of the prospective user of the adapted vehicle	
3.4	Details of disabilities of the prospective user	
4	Compliance of Adaptation with the Applicable Rules.	
4.1	Compliance Details of Adaptation c. Details (Name, Telephone Number and address) of the Company who has	

	carried out Adaptation d. Compliance details in the formats (Form No. 22H) provided under rule 112A of CMVR 1989 as applicable. <i>(Applicable in case carried out by the OE manufacture or his dealer or Authorized Workshop as allowed under Rue 112A of the CMVR 1989)</i>	
--	---	--

This is to certify that the adaptation mentioned above is correct.

Place: _____

Date: _____

(Signature of the Owner)

Name: _____

Mobile Number _____

Part II

(To be filled Registering Authority)

The Motor Vehicle duly adapted has been verified and cleared for endorsement entry in to Registration Certificate subject to the condition that the user (person with disability) shall use this vehicle after obtaining the driving license for such vehicle.

Place:- _____

Date :- _____

(Signature of the authorized person)

Name: _____

FORM 22F

[(See rules 47B(3),112(3), 112(4), 126)]

COMPIANCE REPORT FOR ALTERNATION/RETROFITMENT

(To be submitted by the company/workshop who has carried out alteration/retrofitment either electronically on the Portal or, in physical form to the owner and owner shall submit this report to registering authority for the endorsement in registration certificate)

I hereby submit the compliance report for the alteration/retrofitment work carried out as detailed below.-

Sr. No.	Item	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
1.5	Name, address and mobile number of the motor vehicle owner	
2.	Details of the Alteration/ Retrofitment carried out	
2.1	Nature of Alteration (Body Structure/ Fuel Source/ Chassis replacement / Engine replacement)	

2.2	Brief Details of the alteration/retrofitment carried out.	
2.3	Applicable rules from the CMV rules followed for alteration/retrofitment	
2.4	Standard as specified in applicable rules followed for carrying out alteration/retrofitment	
2.5	Compliance report regarding alteration/retrofitment in the form type approval issued by the authorized testing agency or self-certification report as the case may be.	To be attached
3.	Name, address and contact details of the firm who has carried out the subject alteration/retrofitment work	

This is to certify that the subject alteration/retrofitment work has been carried in such a manner that specific provision of the rules related to alteration/retrofitment are followed and it is ensured that motor vehicle so altered comply with the requirements of Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Place: _____ Authorized signatory of the firm who carried out alteration/retrofitment)

Date: _____ e of the person: _____

Name of the firm which carried out alteration/retrofitment _____

Mobile Number _____

FORM 22G

[(See rules 47B (3), 112A(2), 126)]

COMPLIANCE REPORT FOR ADAPTATION OF MOTOR VEHICLE

(To be submitted by the company/workshop who has carried out adaptation work on motor vehicle retrofitment either electronically on the Portal or, in physical form to the motor vehicle owner and owner shall submit this report to registering authority for the endorsement in registration certificate)

Sr. No.	Item	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Motor Vehicle Details	
1.1	Motor Vehicle Make & Model	
1.2	Registration Number	
1.3	Chassis number (Optional)	
1.4	Engine number/Motor number (in case of battery operated vehicles) (Optional)	
1.5	Name, address and mobile number of the motor vehicle owner	
2.	Details of the alteration to convert motor vehicle in to adapted vehicle.	
2.1	Nature of Alteration for converting it in to adapted vehicle (Body Structure, vehicle control)	

2.2	Brief details of the alteration carried to convert motor vehicle in to adapted vehicle.	
2.3	Applicable rules from the CMV rules followed for carrying out adaptation work	
2.4	Standard as specified in applicable rules followed for carrying out alteration/retrofitment	
2.5	Compliance report regarding alteration work carried out to convert motor vehicle in to adapted vehicle in the form type approval issued by the authorized testing agency or self-certification report as the case may be.	To be attached
3.	Name, address and contact details of the firm who has carried out the subject adaptation work	

This is to certify that the subject alteration/retrofitment work has been carried in such a manner that specific provision of the rules related to adaptation work of motor vehicle are followed and it is ensured that motor vehicle so altered to make it as adapted vehicle comply with the requirements of CMV rules.

Place: _____

(Authorized Signatory of the firm which carried out alteration work to convert motor vehicle in to adapted vehicle)

Date: _____

Name of the person: _____”

(60) In the said rules, after Form 23A, the following form shall be inserted, namely.-

“FORM 23B
[Refer Rule 53B(1) and (3)]

TEMPORARY CERTIFICATE OF REGISTRATION

Temporary Registration Mark	-----
Application No.	-----
Owner Name	-----
Son/wife/daughter of	-----
Address	-----
Mobile Number	_____
Description of Vehicle	
Class of Vehicle	-----
Maker's Name	-----
Maker's Model Name	-----
Type of Body	-----
Seating Capacity	-----
Colour	-----
Engine Number	-----
Chassis Number	-----

Place where Vehicle shall be Permanently Registered -----
 Reason for taking Temporary Registration For **Body Building / For Permanent
 Registration at RTO in another State**

Note : The Motor Vehicle above described is Hire-Purchase/Lease Agreement/Hypothecation
 in favor of -----

Under the provisions of section 43 of the Motor Vehicles Act 1988, the vehicle
 described above has been Temporarily Registered on ----- and the Temporary
 Registration is valid from ----- to-----

This certificate is extended:

From ----- to -----

Date-----

From ----- to -----

Date -----

Fee Paid Details: -----

Tax Paid Details: -----

Specimen Signature of the Owner

Signature of Registering Authority.”;

(61) In the said rules, for Form 24, the following Form shall be substituted, namely: -

**“FORM 24
 REGISTER OF MOTOR VEHICLE / NATIONAL REGISTER OF MOTOR VEHICLES
 [Rule 49 and 75A(1) and 75A(4)]**

Description of registration of motor vehicle.	Particulars of regd. Owner on registration/transfer of ownership/change of address of motor vehicle	Particulars of agreement of hire purchase, lease, & hypothecation	Entries relating to the all types of endorsement on certificate of registration	Remarks

Particulars	Details	Full name son/wife/ daughter of, present address/permanent address/mobile number	Specimen Signature	Endorsement and cancellation of an endorsement of such agreement with full name and address of the financier	Specimen signature or thumb impression of financier	Endorsement and cancellation of an endorsement of such agreement with full name and address of the financier	Such as suspension/ cancellation issue of duplicate (to the registered owner/ fresh (to the financier); and exemption granted, NOC issued vehicle removed to other, State alteration of vehicle
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Registration No.

7. Date of Registration

2A. Purchase Date

8. Name of owner

Son/wife/daughter of

Full address

(Permanent)

(Temporary)

Mobile Number

9. Dealer's name and address

10. Particulars of previous registration number, viz.

1. The name of the registering authority

2. Registration number assigned

11. The motor vehicle is

(घ) New

(ङ) Ex-Army

(च) Imported

12. Class of vehicle

13. Maker's name

14. Type of body

15. Month and year of manufacture

16. No. of cylinders

17. Chassis No.
18. Engine No. or motor number in case of Battery operated vehicles
19. Fuel used in engine
20. Horse power
21. Cubic capacity
22. Maker's Classification
23. Wheel base (mm)
24. Seating capacity including all
- 19A. Standing capacity
- 19B. Sleeper capacity
 25. Colour or colours of body, wings, front end
 26. Unladen weight (kg)
 27. Registered Gross vehicle weight (kg)
- 22A. Gross Combination Weight, if applicable (kg)
- 22B. Floor Area (sq. m)
- 22C. Sale Amount
- 22D. Emission Norms
- 22E. Heights (mm)
- 22F. Lengths (mm)
- 22G. Widths (mm)
28. Additional particulars in case of transport vehicle other than motor cabs.

Number of axle

3. No. Description and size of tyres,
front axle,
rear axle
any other axle,
Tandem axle.
4. Registered axle weight
Front, axle _____ kg
Rear axle _____ kg
Any other axle _____ kg
Tandem axle _____ kg
- 2A. Overhang (mm)
- 2B. Rearhang (mm)

29. Additional particulars of alternatives or additional trailer or semi trailers registered with an articulated vehicle.
1. Type of body
 2. Unladen weight (kg)
 3. Number and description and size of tyre on each axle.
 4. Registered axle weight (kg) in respect of each vehicle.
30. Insurance certificate/cover note no _____ dated _____ vehicle valid from..... to.....issued by _____ (name and address of the insurance company)
- 25A. Whether held under hire-purchase/ lease and hypothecation, If so, particulars of financier, etc
31. History of all MV Taxes and Fee paid.
 32. Validity of registration from _____ to _____
- 27A. Validity of fitness from _____ to _____
(To be stored "As per Fitness" for Transport / Commercial vehicle)
33. Name and designation of the inspecting officer who certified the vehicle as fit for registration (in case of vehicles other than fully built body)
 34. Name and designation and signature of the registering, authority.";

(62) In the said rules, in Form 25, in the heading, after the words, "FORM OF APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF REGISTRATION OF A MOTOR VEHICLE", the words, "OTHER THAN A TRANSPORT VEHICLE", shall be omitted.

[F. No. RT-11036/60/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.....(E),

Dated.....